सितम्बर 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
संतोष मिश्र

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

खास खबरें : मध्यप्रदेश अब विकसित राज्यों की पंक्ति में 3
विशेष लेख : अतिवृष्टि : जरूरत-आपदा और आपदा प्रबंधन 7
आलेख : बाढ़ की आफत सरकार द्वारा राहत 9
बाढ़ विशेष लेख : बाढ़ पीड़ितों को मिला सरकार का सहयोग 11
आलेख : जल प्रबंधन ही बाढ़ से बचाव का उपाय 13
आपदा प्रबंधन : आपदा : चुनौतियां और समाधान 15
आपदा प्रबंधन : कृषि : मौसम की दुश्वारी से फसल सुरक्षा के लिये जरूरी है नियमित प्रबंधन 19
आलेख : सूखे की मार के बाद बाढ़ का कहर 25
मनरेगा : बाढ़ नियंत्रण में सहयोगी बनी मनरेगा 29
पंचायत गजट : प्राकृतिक प्रकोपों से हुई क्षति के लिए आर्थिक सहायता में हुई वृद्धि 30
चिट्ठी-चर्चा 48

आयुक्त की कलम से...

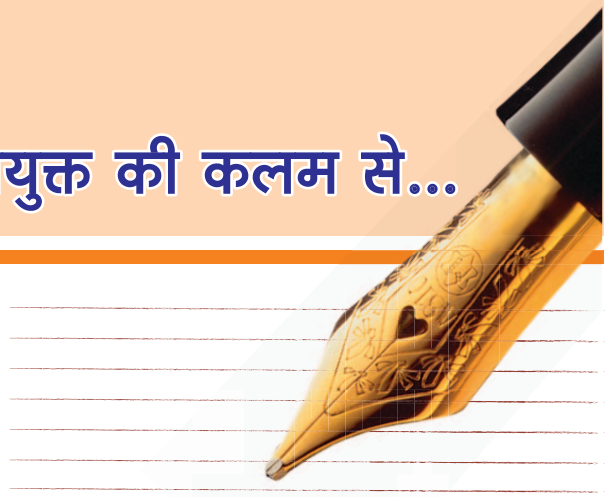

^y{ ', Ob Am ¡ a dZ g§ajU go hr AmnXr

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश अब तेजी से विकसित होता प्रदेश है। पिछले कई वर्षों में प्रदेश में विकास की अभूतपूर्व उड़ान भरी है। प्रदेश की विकास दर लगभग दहाई अंकों में है। कृषि विकास ने निरन्तर चार बार कृषि कर्मण अवॉर्ड जीतकर कृषि कार्य की सफलता को स्थापित किया है।

आर्थिक समृद्धि की चमक को हासिल करने और विभिन्न संभावनाओं को सरकार करने के लिए मध्यप्रदेश ने व्यापक औद्योगिक नीति बनाई है। यह नीति उद्योग मित्र होने के साथ प्रदेश में उपलब्ध नैसर्गिक साधनों और उनके उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम है।

मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाने का धरातलीय प्रयास है। आगामी 22-23 अक्टूबर को इन्दौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। निश्चित ही विकास की दृष्टि से यह आयोजन एक विशेष अवसर है इसीलिए मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 पर केन्द्रित है।

'मेक इन मध्यप्रदेश' कल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में होने वाले इस आयोजन में जहाँ देश दुनिया के उद्योग जगत की हस्तियाँ शिरकत करेंगी वहीं हमारे किसानों के हित की बातें भी होंगी। प्रदेश की उद्योग नीति की विशेषता है कि वह कृषि और उद्योग तथा नगर और ग्राम के समान विकास पर आधारित है जिसका सकारात्मक पक्ष है कि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कृषि और उद्योग का संतुलन ही मध्यप्रदेश की विशेषता है क्योंकि यहाँ लगभग 70 प्रतिशत कृषक हैं। प्रदेश में स्मार्ट ग्राम बनाने का क्रम गति पर है। कृषि की अतिरिक्त आय की पूँजी निवेश स्थानीय कुटीर उद्योग और स्टार्टअप में हो इसीलिए स्टार्टअप नीति बनायी है। मध्यप्रदेश में औद्योगिकीकरण के बढ़ते कदमों में प्रकृति केन्द्र में है। इन्दौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 9 फोकस सेक्टरों यथा एग्री बिजनेस एण्ड फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स एण्ड हैण्डलूम, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग, टूरिज्म, डिफेन्स, रिन्यूवेबल एनर्जी, आई/आईटीईएस तथा ईएसडीएम, अर्बन डेवलपमेंट में एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग क्रम में नंबर एक पर है।

प्रदेश के औद्योगिकरण का बुनियादी तत्व है कि उद्योगों की बढ़त के साथ कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी क्षेत्र का आधार प्राप्त हो। यह समायोजन प्रदेश के औद्योगिक विकास की विशेषता है।

हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक आकाश को छूने की तैयारी में पहले जमीनी हकीकत के आधार पर संरचना खड़ी की फिर देश-विदेश की यात्रा, परस्पर संवाद कर प्रदेश के विशेषता, संभावनाओं, रीति और नीति से परिचित कराया। समुचित प्रयासों का परिणामगत समागम इंदौर ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट में होने वाला है।

अपेक्षा है कि मध्यप्रदेश की औद्योगिकीकरण के लिए की जाने वाली तैयारी नीति-नियम, दृश्य-परिदृश्य, प्रयास और अपेक्षित परिणामों पर केन्द्रित यह अंक आपको निश्चित ही पसंद आयेगा और जानकारी प्रद भी होगा।

हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(संतोष मिश्र)
आयुक्त, पंचायत राज

Xm H$m ~Mmd

àXoe A~ {dH${gV amÁ ¶ m| H$s n § {º

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 सितम्बर को भोपाल में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि पिछले दस साल में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से अब मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की पंक्ति में आ गया है। अब प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के काम प्राथमिकता से किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर पिछले सात सालों से लगातार दहाई अंक में है। प्रदेश की कृषि विकास दर चार साल से 20 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 13 हजार से बढ़कर 59 हजार रुपये प्रति व्यक्ति हो गयी है। पिछले दस वर्षों में एक लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। बिजली की उपलब्धता 4 हजार मेगावॉट से बढ़कर 18 हजार मेगावॉट हो गई है। इससे मध्यप्रदेश अब पावर सरप्लस राज्य बन गया है। सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गयी है। नदी जोड़ो कार्यक्रम में किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया गया है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया है। अब कृषि ऋण किसानों से 90 प्रतिशत ही वापस लिया जायेगा। उद्यानिकी का क्षेत्र बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों की आय पाँच वर्ष में दोगुना करने का रोडमैप बनाया गया है। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। गरीबों को एक रुपये किलो गेहूँ और चावल उपलब्ध करवाने की योजना, गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिये योजनाएँ बनाई गई हैं।

- **मध्यप्रदेश विकसित राज्यों की पंक्ति में शामिल।**
- **प्रदेश की विकास दर पिछले सात सालों से लगातार डबल डिजिट में।**
- **प्रदेश की कृषि विकास दर चार सालों से बीस प्रतिशत से अधिक।**
- **प्रदेश में एक लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण।**
- **मध्यप्रदेश अब पॉवर सरप्लस राज्य बन गया है।**
- **मध्यप्रदेश की सिंचाई क्षमता 7.5 हेक्टेयर से बढ़कर चालीस लाख हेक्टेयर हो गयी है।**
- **गरीबों को निःशुल्क दवाई और आवास की योजना बनाई गई है।**
- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 50 हजार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए मदद की गयी।**
- **महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये कई योजनाएं बनायी गयीं।**

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये 23 लाख बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी बनाया गया है। इनके खातों में 7900 करोड़ रुपये जमा करवाये गये हैं, जो उन्हें 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 27 हजार 600 करोड़ मिलेंगे। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। शिक्षकों की नौकरी में महिलाओं के 50 प्रतिशत तथा वन विभाग को छोड़कर अन्य सेवाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। प्रदेश में नगरीय विकास के लिये अगले 4 सालों में 75 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्मार्ट सिटी बनाई जायेगी। मध्यप्रदेश में युवाओं के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना बनाई गई है। युवा उद्यमी योजना में 50 हजार युवाओं को उद्योग लगाने के लिये मदद की गई है। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सुशासन के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है तथा भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिये विशेष न्यायालय बनाये गये हैं। प्रदेश में पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्ताव में से 2 लाख 75 हजार करोड़ का निवेश आया है। रोजगार बढ़ाने के लिये वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाईल और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। युवाओं के शिक्षा ऋण की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। लोगों की जिन्दगी में आनंद बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने आनंद विभाग गठित किया है।

वूमन समिट एण्ड अवार्ड

- **मध्यप्रदेश सबसे अधिक तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है।**
- **लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लागू होने से अब प्रदेश की बालिकाएँ किसी पर बोझ नहीं।**
- **लाड़ली लक्ष्मी योजना से 23 लाख से अधिक बेटियों के खाते में सात हजार नौ सौ करोड़ रुपये जमा किये गये।**
- **मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निःशक्तजन ओलम्पिक की विजेता, कला, समाजसेवा, व्यापार, प्रशासनिक कार्य तथा राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए महिलाओं को सम्मानित किया।**
- **प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये शासकीय नौकरियों में 33 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।**
- **थेलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के ऑपरेशन का खर्च राज्य सरकार देगी।**
- **आँगनवाड़ियों में पोषण आहार तैयार करने का कार्य स्व-सहायता समूह के द्वारा किया जायेगा।**

महिलाओं-बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिये

संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 10 सितम्बर को इंडिया टुडे समूह के 'वूमन समिट एण्ड अवार्ड' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिये कृत-संकल्पित है। इस कार्य के लिये वे दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान की रक्षा के लिये प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं की बदौलत आज समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। बालिकाओं के जन्म पर अब लोग दुखी नहीं होते बल्कि खुशियाँ मनाते हैं। लाड़ली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बाद अब बालिकाएँ किसी पर बोझ नहीं रही हैं।

ये महिलाएं हुईं सम्मानित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुल छह महिलाओं को अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये सम्मानित किया। इनमें **खेल** के क्षेत्र में निःशक्तजन के लिये आयोजित ओलम्पिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली सीता साहू, **कला** के क्षेत्र में श्रीमती कोमकली, **सामाजिक सेवा** के क्षेत्र में अर्चना सहाय, **व्यापार** के क्षेत्र में अर्चना भटनागर, **युवा प्रशासनिक अधिकारी** के रूप में छवि भारद्वाज तथा **राजनीति** के क्षेत्र में जबलपुर महापौर स्वाति गोडबोले शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये इण्डिया टुडे ग्रुप द्वारा यह सम्मान देकर सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से अब तक 23 लाख से अधिक बेटियों के खाते में 7900 करोड़ रुपये जमा किये जा चुके हैं। इस वर्ष कक्षा 6 में अध्ययनरत लाड़ली लक्ष्मियों के खाते में दो-दो हजार रुपये छात्रवृत्ति के रूप में जमा कराने का कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सरकार तो बेटियों के विवाह के लिये 25 हजार रुपये की मदद करती ही है साथ ही इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों में समाज के जागरूक लोग भी अपनी तरफ से नव वधुओं को उपहार देते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण सरकार ने दिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब थेलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के ऑपरेशन भी अपने खर्च पर करवायेगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों को रेखांकित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि होशंगाबाद जिले के केसला विकास खण्ड में महिला समूह द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म का सालाना टर्न ओवर करोड़ों रुपये में है।

ब्रांड मध्यप्रदेश हुआ दुनिया में स्थापित

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सितम्बर को अमेरिका यात्रा से लौटने के बाद कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट और सोशल सेक्टर में महत्वपूर्ण प्रस्ताव अमेरिकी कंपनियों से प्राप्त हुए हैं। सरकार के पिछले दस वर्षों के अथक प्रयासों से अब ब्रांड मध्यप्रदेश दुनिया के विकसित राज्यों में स्थापित हो चुका है। अब विदेशी कंपनियाँ प्रदेश में पूँजी निवेश के लिये आतुर हैं। प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर्वश्रेष्ठ अधोसंरचना जैसे भूमि, पानी, पॉवर, रेल, रोड एवं एयर कनेक्टिविटी, औद्योगिक शांति तथा बेहतर लॉ एण्ड आर्डर के कारण विदेशी कंपनियाँ प्रदेश में पूँजी निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं।

श्री चौहान ने कहा कि उनकी यात्रा अपने उद्देश्यों में उम्मीदों से अधिक सफल रही है। इस यात्रा में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का विशेष प्रयास किया गया। आई टी कम्पनी से एमओयू किये हैं जिनमें 1000 करोड़ के पूँजी निवेश से 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कुल 25 कम्पनियों से वन-टू-वन चर्चा की गई एवं 100 कम्पनियों ने निवेशक सम्मेलन में भाग लिया। सभी ने मध्यप्रदेश को पूँजी निवेश की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रदेश बताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, प्रदेश की औद्योगिक नीति, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, त्वरित निर्णय लिये जाने की व्यवस्था बताते हुए कम्पनीज को मध्यप्रदेश में पूँजी निवेश के लिये एवं जीआईएस के लिये आमंत्रित किया। लगभग दो सौ से अधिक उद्योग समूहों के प्रतिनिधि जी.आई.एस. 2016 में भाग लेंगे।

यात्रा के दौरान ट्रायफेक-सीआईआई-यूएसआईबीसी के संयुक्त तत्वावधान में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका की लगभग 100 कम्पनियों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमीनार में लंबे समय तक भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके श्री फ्रेंक वाईजनर, जो वर्तमान में अमेरिका और इंडिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये "इंडिया फर्स्ट" संस्था से जुड़े हैं, भी शामिल हुए।

एम.ओ.यू. हुए

यात्रा के दौरान यूएसटी ग्लोबल, नेटलिंक एवं दावत फूड द्वारा पाँच एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। इनमें 2 प्रस्ताव आई.टी. सेक्टर में, 5 मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इडंस्ट्रियल पार्क की स्थापना और विदेशी निवेश से इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही प्रदेश की अधोसंरचना में टेंडर के माध्यम से पूँजी निवेश के भी चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य के लिए विश्व विख्यात औषधि कंपनी, अमेरिकावासी भारतीय मूल के चिकित्सकों के संगठन, अमेरिकी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव भी मिले हैं।

आई.टी. में निवेश

श्री चौहान ने बताया कि आई.टी. क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों में यू.एस.टी. ग्लोबल द्वारा 650 करोड़ रुपये के निवेश से 5000 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव मिला है। इसमें 1000 महिलाओं के लिये रोजगार शामिल हैं। इसी प्रकार सिरियस एक्सम द्वारा 100 करोड़ रुपये के निवेश से 3000 व्यक्तियों को, टी.डब्ल्यू.आर. कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये के निवेश से 1000 और एरेक्स इन्फोटेक्ट द्वारा 100 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने के परियोजना प्रस्ताव दिये गये हैं। इसके साथ ही कौल ग्रुप के श्री राजीव कौल को आई.टी. पार्क की स्थापना के लिए 25 एकड़ भूमि पूर्व से ही दी जा चुकी है। कम्पनी ने शीघ्र इस पार्क में निर्माण प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। इसी तरह आर.एम.सी. कम्पनी के प्रतिनिधि श्री जेफटोल इंदौर क्रिस्टल आई.टी. पार्क में एक बी.पी.ओ की

मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 850 करोड़ स्वीकृत

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 2 सितम्बर को नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर प्रदेश की लंबित विभागीय परियोजनाओं की स्वीकृति के संदर्भ में चर्चा की। इस दौरान श्री तोमर ने बताया कि मनरेगा में मजदूरी के लिये 350 करोड़ तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 500 करोड़ की किश्त स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1700 किलोमीटर की नवीन सड़क भी स्वीकृत कर दी गई है। श्री तोमर ने प्रदेश में अतिवृष्टि से नष्ट हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के लिये 50 हजार आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में स्वीकृत करने का भी आश्वासन दिया।

स्थापना करेंगे। इन्हें आई.टी. पार्क में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। बीपीओ में कम से कम 500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

निर्माण इकाइयों में निवेश

मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई.टी. स्ट्रेटजी, टीआरडब्ल्यू कंपनी जो विश्व की आटोमोबाइल कम्पोनेंट बनाने की प्रसिद्ध जापानी कंपनी है। कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के आटो कम्पोनेंट इकाई की स्थापना की सहमति दी, जिसमें 400 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कंपनी सितम्बर 2016 में प्रदेश का भ्रमण कर भूमि के चयन की कार्रवाई करेगी। सफल उद्यमी एवं एनआईआर श्री चेतन खडरिया द्वारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलैस सर्विसेज के लिये वायरलैस ट्रांसपोंडर्स के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। इसमें 650 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश होगा। कंपनी द्वारा भारत सरकार को हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु आवेदन किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम आवंटित होने पर उनके द्वारा ट्रांसपोंडर्स निर्माण की इकाई प्रदेश में स्थापित की जायेगी। प्रोग्रेस रेल कंपनी के श्री मार्क बचनर द्वारा रेल कम्पोनेंट के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति बनी। कंपनी लोकोमोटो पार्ट्स सिग्नल तथा दूरसंचार उपकरण बनाती है। नोएडा में इनके द्वारा कंपनी स्थापित की जा चुकी है। कंपनी प्रदेश में रेल कम्पोनेंट निर्माण की इकाई स्थापित करेगी जिसकी लागत और रोजगार की जानकारी पृथक से कंपनी द्वारा दी जायेगी।

औद्योगिक पार्क में निवेश

कासमी (चीन का लघु एवं मध्यम उपक्रमों का संगठन) प्रदेश में कम से कम 500 एकड़ भूमि में एक हजार इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेगा जिसमें कि चाईनीज कम्पनीज से पूँजी निवेश कराया जायेगा। कम्पनी को ग्वालियर एवं इन्दौर के समीप उपयुक्त भूमि की जानकारी दी गई। संगठन का एक दल इन्दौर एवं ग्वालियर का भ्रमण कर स्थल का चयन करेगा।

टेंडर द्वारा पूँजी निवेश

प्रदेश की अधोसंरचना में टेण्डर के माध्यम से पूँजी निवेश के प्रस्तावों में डायना ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप नगरीय निकायों द्वारा पेयजल एवं शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिये की जाने वाली निविदाओं में भाग लेगा। कम लागत की हाई टेक्नोलॉजी की परियोजनाओं में पूँजी निवेश करेगा। जाइलम कम्पनी ने भी प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, पेयजल आपूर्ति और वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन आदि अधोसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से पूँजी निवेश की सहमति दी।

सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध

प्रदेश को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी मिला है। सोलारइनों कंपनी ने मेट्रो तथा अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में तीन बिलियन यू.एस. डालर तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव का राज्य शासन द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

पीड़ित मानवता की सेवा में सहयोग

यात्रा के दौरान स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका क्रियान्वयन पीड़ित मानवता की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विश्व की प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी फाईजर सीएसआर कार्यक्रम के तहत कैंसर की शीघ्र पहचान (Early detecation) के लिये स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करना चाहती है। कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों की कम लागत की दवाइयों का निर्माण करने वाली गील्ड साइंस इनकार्पोरेटेड कंपनी द्वारा प्रदेश की कुछ फार्मा कम्पनी से दवाइयों का निर्माण कराया जा रहा है। कंपनी प्रदेश में हेपेटाइटिस सी, जो एक जानलेवा बीमारी है, के उपचार के संबंध में शासकीय चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिये एक वर्कशाप आयोजित करेगी।

शंकराआई फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इंदौर शहर में चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की स्थापना के लिये दो एकड़ भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। इस अस्पताल में 25 हजार आँखों के रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन प्रतिवर्ष किया जायेगा।

मध्यप्रदेश सरकार बरसात के दिनों में सारे काम छोड़कर पीड़ितों की सहायता करने और राहत के कामों में ही लगी रही। सरकार की इस मामले में सराहना की जानी चाहिए कि पीड़ितों के साथ हर कदम पर सरकार खड़ी रही। सहायता के कामों में कोई नियम आड़े नहीं आया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं रात दिन पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। वे जहां दर्द से बेहाल लोगों के बीच दिखे तो राहत के कार्यों की उन्होंने, स्वयं समीक्षा की। उन्होंने अनेक नियमों में ऐसे संशोधन किए जिससे जरूरतमंदों की समय पर मदद की जा सके।

अतिवृष्टि : जरूरत-आपदा और आपदा प्रबंधन

भारतीय वांङ्मय के सुवाक्यों में एक संदेश है- 'अति सर्वत्र वर्जयेत।' अर्थात् जहां कहीं भी अति हो, आधिक्य हो उसे रोकें, निषेध करें। क्योंकि अति सदैव अनिष्टकारी होती है। यह एक ऐसा वाक्य है जिसका अपवाद नहीं होता। जीवन के लिए जल, भोजन, अग्नि, वायु और आकाश जरूरी है। लेकिन जीवन तभी विकसित होगा जब इन तत्वों में संतुलन हो, सीमित हो, मर्यादा हो। यदि आधिक्य हुआ तो संकट।

बरसात के मामले में इस साल यही हुआ। पिछले साल अनेक ऐसे जिले थे जिनमें पर्याप्त वर्षा नहीं हुई थी। बुन्देलखंड तो ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले कई वर्षों से औसत बरसात नहीं हो रही थी। इस साल बरसात के मामले में अच्छी खबरें शुरू से आ रही थीं। मौसम विभाग ने यह संभावना भी व्यक्त कर दी थी कि इस साल औसत से ज्यादा पानी भी आ सकता है और हुआ भी यही। मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून जरूरत से ज्यादा ही नहीं बल्कि वक्त से पहले भी आ गया। समान्यतया मानसून की तारीख 15 जून के आसपास रहती है लेकिन इस साल पानी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही दस्तक दे दी थी, मई माह में अनेक स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनीं। इसका नमूना 21 अप्रैल से 20 मई के बीच उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ में सबने देखा कि किस तरह नदियों के तटबंध टूट गए थे और किस तरह सड़कों पर तालाब जैसे दृश्य बन गए थे। इतना पानी आया, इतनी बरसात हुई कि जीवन बेहाल हो गया।

अब सवाल उठता है कि जो जल, जल की बरसात जीवन के लिए इतनी जरूरी है तब वही बरसात जीवन के लिए इतनी घातक क्यों बनती है, कैसे बनती है और कब बनती है जैसा इस साल परिदृश्य उपस्थित हुआ। जो बरसात जीवन के लिए जरूरी है, उसने विनाश ला दिया, तबाही ला दी। न केवल इंसानी जिन्दगियों की बल्कि पशुओं, मकानों, पेड़ों और प्रकृति के सौन्दर्य की भी। सैकड़ों लोग हजारों पशु मरे, लाखों मकान क्षतिग्रस्त हुए और करोड़ों-अरबों की फसलें बरबाद हुईं। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार बरसात के दिनों में सारे काम छोड़कर पीड़ितों की सहायता करने और राहत के कामों में ही लगी रही। लेकिन फिर भी राहत और सहायता के कामों की सीमा होती है। सरकार की इस मामले में सराहना की जानी चाहिए कि पीड़ितों के साथ हर कदम पर सरकार खड़ी रही। सहायता के कामों में कोई नियम आड़े नहीं आया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं रात दिन पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। वे जहां दर्द से बेहाल लोगों के बीच दिखे तो राहत के कार्यों की उन्होंने, स्वयं समीक्षा की। उन्होंने

अनेक नियमों में ऐसे संशोधन किए जिससे जरूरतमंदों की समय पर मदद की जा सके।

बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और आपदा पर नियंत्रण, निगरानी एवं सहायता के लिए केन्द्र सरकार के अपने नियम हैं जिनके अंतर्गत पीड़ितों को सहायता दी जाती है लेकिन राज्य सरकार ने इससे एक कदम आगे आकर नए नियम बनाए तथा बजट का प्रावधान किया। यदि हम भारत सरकार के आपदा प्रबंध के प्रावधान देखें तो 'भारत के राजपत्र असाधारण में 23 दिसम्बर 2005 को प्रकाशित है कि आपदा प्रबंध की योजना को कुल आठ चरणों में बांटा गया है -

1. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण, 2. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी, 3. क्षमता निर्माण, 4. आपदा से निबटने की तैयारी, 5. आपदा की आशंका या आपदा स्थिति से तुरंत बचाव, 6. आपदा के प्रभाव या गंभीरता का निर्धारण, 7. निराक्रमण बचाव, राहत, 8 पुनर्वास और पुनर्निर्माण। इन सूत्रों के अंतर्गत बचाव की एक पूरी कार्ययोजना है जिसमें संपत्ति, और व्यक्ति दोनों की हानि पर राहत के प्रावधान हैं। लेकिन नुकसान और पीड़ा पर केंद्र सरकार के नियमों को मध्यप्रदेश सरकार ने आसान बनाया और सहायता राशि में भी वृद्धि की इसका मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी राजस्व-पुस्तक परिपत्र खंड 6, क्रमांक 4 (R.B.C. 6-4) में विस्तार से वर्णन है जो 1 अप्रैल 2015 से प्रभावशील हुआ। इसमें संबंधित पटवारी, तथा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई क्षेत्र या व्यक्ति किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है तो उसकी सूचना जिले या संभाग को तुरंत भेजें। इन प्रावधानों में पीड़ा की समीक्षा करके संबंधितों को सहायता के अधिकार भी दिए गए हैं। इसमें तहसीलदार को 50 हजार रुपये तक, उपखंड अधिकारी को एक लाख तक, कलेक्टर को पांच लाख तक तथा संभागायुक्त को पांच लाख से अधिक की वित्तीय सहायता के अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह पीड़ित को ऋण देने के अधिकारों के अंतर्गत उपखंड अधिकारी को बीस हजार तक, कलेक्टर को एक लाख तक तथा इससे अधिक के ऋण के लिए प्रकरण संभागायुक्त के पास भेजा जाएगा।

प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का संयुक्त दल गठन कर सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए। सर्वेक्षण दल खेत दर खेत जाकर प्रभावित कृषकों के खेतों में लगी फसल को हुई क्षति का आंकलन करेगा। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रभावित कृषकों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा सभी ग्रामवासियों को सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्रामवासियों के दावे आपत्ति, यदि कोई हों तो प्राप्त किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त सभी दावे आपत्तियों का निराकरण सर्वे दल द्वारा किया जाकर सूची को ग्राम पंचायतों से सत्यापित कराकर राहत राशि स्वीकृत करने के लिए प्रेषित किया जाएगा।

इस परिपत्र में कहा गया है कि देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों, चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हों या वन ग्रामों के निवासी हों, देय होगी। वन ग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा। वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की फसल प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर भी संयुक्त सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें वन विभाग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की फसलें प्राकृतिक आपदा से क्षति होने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर फसल हानि का पंचनामा तैयार करेगा। जिस पर वन विभाग के बीटगार्ड या परिक्षेत्र सहायक जो भी उपलब्ध हों, से इस बावत् प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा कि फसल हानि प्राकृतिक आपदा से ही हुई है। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रमाणीकरण के उपरांत सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मानदण्ड अनुसार राहत राशि स्वीकृत की जाएगी। पाठकों की सुविधा के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मानदण्ड तथा अन्य विस्तृत विवरण पंचायिका के इसी अंक के आगे के पृष्ठ में प्रकाशित हैं।

सहायता के नियमों को भी उदार बनाया गया है। कच्चे, पक्के मकानों के अतिरिक्त किसी एक मकान में एक से अधिक रहने वाले व्यक्तियों का आंकलन अलग-अलग करने का प्रावधान है। प्राकृतिक आपदा में किसानों के अतिरिक्त मछुआरों की क्षति में भी सहायता देने के प्रावधान हैं। इसमें नाव के नष्ट होने, जल या डोंगी के नष्ट होने अथवा आंशिक क्षति में भी बारह हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदा आने पर सहायता के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं फिर बदलते वक्त के उभरते स्वरूप और विकास शैली से केवल सरकार के प्रावधानों से ही राहत नहीं मिल सकती। इसके लिए समाज की जागरुकता भी जरूरी है। विकास की इस आधुनिक शैली से बरसात के पानी को धरती में समाने के, निकालने के तथा कहीं पोखर-गड्ढे में इकट्ठा होने के रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों के डामरीकरण, नगरों, गांवों, खेतों के समतलीकरण तथा तलाबों-नदियों में आए भराव से अब पानी सड़कों पर आता है। घरों में घुसता है, खेतों में भरता है। यह अपने आप में कितना आश्चर्यजनक है कि यदि पानी औसत से कम गिरे तब भी बाढ़ आ जाए। यह केवल इसलिए क्योंकि पानी का प्रबंधन सामान्य जन के जीवन से दूर हो गया है। इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि एक तरफ धरती का जल स्तर नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ धरती के ऊपर बाढ़ से तबाही आ रही है। यदि हम नलकूपों के द्वारा धरती का पानी खींच रहे हैं तो हमें बरसात का पानी धरती के भीतर भेजने का प्रबंध भी करना पड़ेगा। जो खेतों के बीच पानी के निकलने का तथा जमा होने का रास्ता बनाकर करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार नगरों में पानी के निकास का प्रबंध, दिखावटी न होकर व्यवहारिक होगा तो समाज को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिलेगी।

● **रमेश शर्मा**

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं।)

बाढ़ की आफत सरकार द्वारा राहत

मध्यप्रदेश में बाढ़ जैसी आपदा से सक्षम रूप से निपट लेने का सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन तंत्र की निष्ठावान सजगता, सतर्कता और संवेदनशीलता जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री घुटनों-घुटनों पानी में गांव-गांव घूमकर बाढ़ में फंसे लोगों के हालचाल लेता रहा हो वहां भला आपदा प्रबंधन के अनुकरणीय मॉडल क्यों नहीं रचे जायेंगे। बाढ़ से नुकसान तो हुआ है लेकिन उसे भरसक कम करने की ईमानदार कोशिशें की गई हैं।

हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वृक्ष ही जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है। इस बार की वर्षा ऋतु में शास्त्र का यह वचन एकदम सटीक सत्य सिद्ध हो गया। यद्यपि बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोप है किन्तु उसके कुछ कारण उपरोक्त शास्त्र वचन में मिलते हैं। हमारे प्रदेश में बाढ़ का अधिक प्रकोप उन्हीं इलाकों में देखा गया जहां धरती के संरक्षक वनों की कमी है। वृक्ष और जल का संबंध मोटे तौर पर इशारतन समझ लेने के बाद अब जल और अन्न का संबंध भी समझ लें। इस बरसात ने हमारे प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का रकबा इतना बढ़ा दिया कि हम देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गये। लगातार चार वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला मध्यप्रदेश अब खरीफ फसल के बम्पर उत्पादन की वजह से प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य भी बन जायेगा। प्रकृति मुसीबत लाती है लेकिन दूसरे हाथ से राहत भी बांटती है।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मध्यप्रदेश में रबी फसल का रकबा 21 लाख हेक्टेयर हो गया है जो कि राजस्थान के 32.88 और महाराष्ट्र के 25.27 हेक्टेयर के बाद देश में सर्वाधिक है। याद रहे कि खरीफ फसल में अरहर जैसी दालों का उत्पादन होता है जिसका देश में अभाव था और इसके लिये विदेशों से करार करना पड़े थे।

बाढ़ में प्रकोप कमोवेश उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में था। देश की राजधानी दिल्ली तो बाढ़ के कहर का मॉडल

ही बन गई थी। इस नजरिये से अगर मध्यप्रदेश की तुलना करें तो यहां के हालात

प्रवाहित रखता है और कुओं, तालाबों तथा जलाशयों में, गर्मी के बावजूद जल-स्तर को ठीक-ठाक बनाये रखते हैं। इस मॉडल से हमें यह शिक्षा मिली है कि जहां धरती पर वृक्षों वनस्पतियों का संरक्षक आवरण कम था वहीं बाढ़ की विनाशलीला अधिक थी - उदाहरणार्थ सतना और रीवा जिले।

वृक्षों का योगदान जहां वर्षा जल के दबाव को कम करना है वहीं उसका योगदान भूमि संरक्षण में भी है। भू-वैज्ञानिक जानते हैं कि जमीन की उपजाऊ शक्ति उसकी ऊपरी आठ इंच गहरी पर्त में ही है जिसे ह्यूमस कहते हैं। जिस धरती पर हरियाली का संरक्षक आवरण नहीं होता वहां की यह उपजाऊ पर्त बह जाती है जिसे भूमि क्षरण कहते हैं। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। हम मिट्टी नहीं बना सकते क्योंकि वह तो बुनियादी रूप से प्रकृति का काम है, भूमिक्षरण से दोहरा नुकसान होता है। एक तरफ जमीन बंजर हो जाती है और दूसरी ओर यही मिट्टी नदी-नालों में जमा होकर उन्हें उथला बना देते हैं जिससे ये जलाशय अपने तट-बंध लांघ कर बस्तियों पर अपना प्रकोप ढाते हैं। इसी को तुलसीकृत रामायण में **'महावृष्टि चलफूटि कियारी'** कह कर निरूपित किया गया है। क्या इस प्रकार प्रकृति हमारी पर्यावरण विरोधी जीवनशैली का बदला लेने पर उतारु हो जाती है। यह समझने का विषय है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भूमिक्षरण के कारण जो मिट्टी बहती है उसका मूल्य अरबों रुपयों की खाद के समान होता है। नदियों में गाद जमने की समस्या बाढ़ की प्रमुख समस्या है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी युग प्रवर्तक रचना रामचरित मानस में इसी पर्यावरणीय समस्या को कविता का रूप दे दिया :

सजल मूल जिन सरितन नाहीं।
बरसि गये पुनि तबहिं सुखाहीं।।

इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिन नदियों के उद्गम स्थल वृक्षाच्छादित नहीं होते वे वर्षा के बाद सूख जाती हैं। जाने-माने पर्यावरणविद् एम.एन. बुच ने अपनी पुस्तक 'द फारेस्ट ऑफ मध्यप्रदेश' में इसी संदर्भ में नर्मदा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यदि उसके उद्गम स्थल अमरकंटक को वृक्षाच्छादित रखना सुनिश्चित न किया गया तो हमारी जीवन-रेखा नर्मदा एक दिन सूख जायेगी। हमारे प्रदेश की अधिकांश नदियां वर्षा जल से प्रवाहित हैं। इन्हें सदाप्रवाही बनाये रखने के लिये वनसंरक्षण, भूमि संरक्षण और जल संरक्षण के तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। इस संदर्भ में नदियों को जोड़ने की योजना कारगर सिद्ध हो सकती है। बशर्ते कि उसमें पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाए।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तम्भकार व पर्यावरणविद हैं)

प्रदेश की धरा पर प्रकृति का प्रकोप

बाढ़ पीड़ितों को मिला सरकार का सहयोग

प्रकृति के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। न सिस्टम की और न ही सृष्टि के अंग मानव की। प्राकृतिक प्रकोप के आने की न आहट होती है और न ही अंदेशा होता है, बस होती है तो सिर्फ प्रकोप के बाद की भयावह तस्वीरें। जो न केवल तबाही मचाने वाली होती हैं बल्कि विभिन्न व्यवस्था को तहस-नहस कर देती हैं। विचलित कर देने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में प्रदेश के लगभग दो दर्जन जिलों में अतिवर्षा के बाद सामने आयीं। अतिवर्षा के बाद प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ के हालात बने। खेत की फसलें डूबीं, मकान ढहे, लोगों की जानें गईं और पशुधन पर कहर ढहा। इस बीच प्रदेश सरकार पर चिंता की लकीरें खिंचने लगीं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त जिलों, इलाकों में बन रहे हालातों पर चिंतित होते हुए स्वयं बाढ़ प्रभावित जिलों व इलाकों के लिए निकल पड़े। इसकी शुरुआत उन्होंने राजधानी भोपाल से की। करीब पाँच-छः घंटे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक अमले के साथ घूमे।

प्रभावित लोगों से मिलकर ढांढस बंधाया और मौके पर ही अधिकारियों को तुरंत लोगों की सहायता करने के निर्देश दिए। साथ ही जल भराव के कारण हुए नुकसान का सर्वे कर उपयुक्त आर्थिक सहायता देने की बात कही।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री सतना, रीवा और पन्ना जिलों में बाढ़ के हालातों को देखने गए। पन्ना जिले के अमानगंज पहुँचकर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया। आधा दर्जन गाँवों में पहुँचकर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। यह मुख्यमंत्री की प्रदेश की जनता के प्रति पीड़ा ही थी कि वह सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए पीड़ितों के बीच

प्रभावित फसलें और शासकीय सहायता

इस वर्ष प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से राज्य की 4 लाख 42 हजार हेक्टेयर में लगी सोयाबीन, उड़द, मूँग, तुअर, मक्का आदि फसलें खराब हुईं। इसके अलावा अभी भी जिला स्तर पर हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। वहीं राज्य शासन ने प्रारंभिक तौर पर अब तक प्रदेश के सभी 51 जिलों को 118 करोड़ की सहायता राशि आवंटित की है। जिससे कई जगहों पर सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है तो कहीं पर अभी सर्वे का कार्य चल रहा है। राजधानी भोपाल में ही 56 करोड़ रु. की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। चूंकि इस बारिश से राजधानी के निचले हिस्से काफी प्रभावित हुए थे और लोगों के घरों में 10-10 फिट तक पानी घुस गया था।

बाढ़ के रूप में आयी प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की सरकार किसान भाईयों के साथ है। इस आपदा से हुए नुकसान का सर्वे कर किसानों को राहत सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं शहरों, कस्बों, गाँवों में जलभराव के कारण हुए नुकसान की भरपायी भी सरकार द्वारा की जायेगी।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

पहुँचे। मौसम खराब होने के कारण ट्रेन मार्ग से इटारसी होते हुए सतना और फिर सड़क मार्ग से पन्ना पहुँचे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये, क्षतिग्रस्त मकान पर अधिकतम 95 हजार, जलभराव वाले मकान और क्षतिग्रस्त झोपड़ी पर 6-6 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

प्रदेश में इस वर्षा के मौसम में अभी तक की जानकारी के अनुसार बाढ़ और अतिवर्षा से 3 लाख 83 हजार 459 आबादी प्रभावित हुई। कुल 103 जनहानि दर्ज की गई है। इक्कीस लोग घायल हुए हैं और 7 लोग लापता हुए। वर्षा से 2760 मकान पूरी तरह और 44 हजार 200 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा 162 राहत शिविर लगाये गये। इन शिविरों में 22 हजार से अधिक लोगों ने लाभ लिया। इसके अलावा प्रदेश के जिलों में लगभग 400 पशुओं हानि हुई।

● **नवीन शर्मा**
(लेखक स्तम्भकार हैं।)

जिलों का वर्गीकरण

1.	सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले (सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक)	1. जबलपुर, 2. कटनी, 3. मण्डला, 4. सागर, 5. दमोह, 6. पन्ना, 7. छतरपुर, 8. रीवा, 9. सीधी, 10. सिंगरौली, 11. सतना, 12. इन्दौर, 13. झाबुआ, 14. अलीराजपुर, 15. उज्जैन, 16. मंदसौर, 17. नीमच, 18. रतलाम, 19. शाजापुर, 20. शिवपुरी, 21. गुना, 22. अशोकनगर, 23. भोपाल, 24. सीहोर, 25. रायसेन, 26. विदिशा, 27. राजगढ़, 28. होशंगाबाद, 29. बैतूल।
2.	सामान्य वर्षा वाले जिले (+ 19 प्रतिशत से -19 प्रतिशत तक)	1. छिंदवाड़ा, 2. सिवनी, 3. डिण्डोरी, 4. नरसिंहपुर, 5. टीकमगढ़, 6. शहडोल, 7. अनूपपुर, 8. उमरिया, 9. धार, 10. खरगौन, 11. खण्डवा, 12. बुरहानपुर, 13. देवास, 14. आगर-मालवा, 15. मुरैना, 16. श्योपुर, 17. भिण्ड, 18. दतिया, 19. हरदा।
3.	कम वर्षा वाले जिले (-20 प्रतिशत से -59 प्रतिशत तक)	1. बालाघाट, 2. बड़वानी, 3. ग्वालियर।
4.	अल्प वर्षा वाले जिले (-60 प्रतिशत व उससे अधिक)	निरंक
	कुल योग -	**51 जिले**

जल प्रबंधन ही
बाढ़ से बचाव का उपाय

हमें वॉटर रिचार्ज, हार्वेस्टिंग और वेटलैंड के पुनर्रुद्धार पर फोकस करना होगा। तेज प्रवाह वाली नदियों को छोटी नदियों और नहरों से जोड़ने का काम तेजी से करना होगा। जब तक हम तेज बारिश में ज्यादा से ज्यादा वॉटर रिचार्ज की क्षमता नहीं विकसित करेंगे, बाढ़ जैसी स्थिति बनती रहेगी। अत्यधिक वॉटर स्टोर और रिचार्ज के लिए काम करें। कुछ इलाके सिर्फ प्लांटेशन के लिए रखे जाने चाहिए ताकि पानी गिरे तो वह सोख लिया जाए।

हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हम जब बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ की स्थिति सब इलाकों में एक जैसी नहीं होती। हर जगह का भू-भाग काफी भिन्न होता है।

सबसे पहले गाँवों में आने वाली बाढ़ की बात करते हैं। जब तेज बारिश होती है तो कई नदियाँ ऐसी हैं जिनके अपस्ट्रीम में बांध होने से उनमें पानी छोड़ा जाता है और उसका बहाव तेज आता है। इसलिए जब भी बांध से पानी छोड़ा जाए तो 'डाउन स्ट्रीम' में पानी छोड़ने के सभी आंकड़ों के साथ निचले इलाकों में प्रशासन से संवाद स्थापित कर लिया जाए। डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितने इलाके उस पानी की जद में आने वाले हैं। डूब क्षेत्र को पहले ही चिन्हित कर लेना चाहिए। ऐसे डूब क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ कम से कम हों। इन इलाकों में ग्रास लैंड को प्रोत्साहन देना चाहिए जिसकी अभी कमी है।

अब हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो भारत के शहरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति इसलिए बनती है, क्योंकि शहरीकरण करते वक्त वर्षा जल प्रबंधन की यथोचित व्यवस्था

नहीं की जाती। अतः तेज वर्षा की स्थिति में पानी शहरों में फौरन भरने लगता है और निचले इलाके तुरन्त डूब जाते हैं।

जबकि शहरीकरण की योजना बनाते वक्त बुनियादी तौर पर ध्यान रखना होता है कि कौन-कौन से इलाके निचले और कौन से हाई एल्टिट्यूड वाले हैं।

शहरों के 'लोअर एलिवेशन' वाले

हिस्सों में ज्यादा निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए। जब भी बारिश का पानी तेजी से गिरेगा तो शहरों में निकास नहीं हो पाएगा। जाहिर तौर पर वह जमा होगा और निचले हिस्से डूब जाएंगे।

पहले शहरों में पर्याप्त खाली जमीन थी तो वर्षा जल स्वतः जमीन में रिचार्ज हो जाता था। अब तो अंधाधुंध शहरीकरण में हमने एक्विफर (जलवाही स्तर) रोक दिए हैं। ग्राउंड वॉटर रिचार्ज के मुख्य बिंदुओं को बंद कर दिया गया। ऐसे में कैसे वर्षा जल जमीन में जा पाएगा। वह तो भरेगा और बर्बाद ही होगा। इस स्थिति को जल्द से जल्द बदला जाना जरूरी है। व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना होगा और सबसे अहम शहरों में कुछ-कुछ जगहों पर खुली जमीन छोड़नी होगी। हर जगह सड़कें बनाने और सीमेंट की परतें बिछाने से हल नहीं निकलेगा। शहरी भवनों और निर्माण कार्यों में हमें वॉटर हार्वेस्टिंग तो अनिवार्य कर देना चाहिए।

वॉटर हार्वेस्टिंग व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि अब वक्त है, जब सामुदायिक हार्वेस्टिंग पर काम किया जाए। जब तक हम तेज बारिश में ज्यादा से ज्यादा वॉटर रिचार्ज की क्षमता नहीं विकसित करेंगे, बाढ़ जैसी स्थिति बनती रहेगी। अत्यधिक वॉटर स्टोर और रिचार्ज के लिए काम करें। कुछ इलाके सिर्फ प्लांटेशन के लिए रखे जाने चाहिए ताकि पानी गिरे तो वह सोख लिया जाए। यही वजह है कि कभी उत्तराखंड, कभी तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और मध्यप्रदेश, राजस्थान तक के इलाकों में बाढ़ की नौबत बन जाती है। इसलिए ऐहतियातन तौर पर हमें अलग-अलग भू-भाग के हिसाब से निर्माण कार्य और पौधारोपण करना चाहिए। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों के लिए एक और अहम बात यह है कि इन पहाड़ी इलाकों में वॉटर कंटूरिंग करके पानी का चैनलाइजेशन करना होगा। अभी पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी गिरता है और वह ढलान पर तेज बहाव से आता है। इसलिए हमें इन इलाकों में पानी की माइक्रो यूनिट को मैक्रो यूनिट और रीजनल लेवल पर जोड़ने की जरूरत है।

आखिरकार व्यवस्थित टाउन प्लानिंग और रेगुलेशन के जरिए ही हम जलभराव से बच सकते हैं। जो जल हमारे लिए अमृत होना

आपदा प्रबंधन संस्थान

आपदा : चुनौतियां और समाधान

आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल देश का सबसे पुराना संस्थान है। यह गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत है। आपदा के क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों में क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण तथा सलाहकारिता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत शासन द्वारा संस्थान को तेल एवं प्राकृतिक गैस की विभिन्न इकाइयों के आपदा प्रबंधन के प्रमाणीकरण का भी दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विभिन्न गाईडलाइन के निर्माण में भी संस्थान का सहयोग रहा है।

विगत दिनों बाढ़ के प्रकोप से देश व प्रदेश पीड़ित रहा है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि भारी वर्षा होने से बाढ़ आती है लेकिन इसके मूल में खोजें तो इसके पीछे धरती का तापमान बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का ह्रास, नगरीकरण, अनियंत्रित खेती और प्रकृति का दोहन है। पर्यावरणीय अव्यवस्था के चलते मानसून की पद्धति में अनियमितता से बाढ़ की आपदा सर्वाधिक आती है। आपदा के समय त्वरित कार्यवाही और राहत कार्य अपेक्षित होते हैं। अतः आने वाली आपदा का नियंत्रण राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन के तहत आपदा की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव की योजना के सभी पक्ष शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं विशेषकर 23/7, 39, 40 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य शासन के विभिन्न विभागों यथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, श्रम विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन और उनके प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए समय-समय पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व चर्चा से विचार-विमर्श किया जाता है। जिसमें संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए विषय वस्तु, आपदा से सुरक्षा का विश्लेषण तथा संभावित खतरों को लेकर मार्गदर्शन दिया जाता है।

जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन समितियाँ बनाने का प्रावधान है। सभी समितियों में प्रमुख उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि होंगे। इस तरह जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा जिला पंचायत अध्यक्ष समिति के प्रमुख होंगे तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच तथा सचिव होंगे। यह आपदा प्रबंधन समितियाँ क्षेत्र की कमियों और क्षमताओं का अवलोकन कर समाधान खोजेंगी। पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियाँ पंचायत के क्षेत्र में आपदा से संबंधित आकलन करेंगी और फिर पूर्वानुमान के आधार पर बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित करने का कार्य किया जायेगा।

गंभीर स्थिति में जिले में मदद के लिए सूचित किया जाता है। किसी क्षेत्र या पंचायत से आपदा की संभावना या सूचना प्राप्त होते ही जिला कलेक्टर द्वारा राज्य आपदा विमोचन बल के माध्यम से तुरंत मदद पहुंचाई जाती है।

संस्थान द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय तैराक विकसित किये जायें। इसके लिए पंचायत स्तर पर अपेक्षा है कि अच्छे तैराकों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि बाढ़ की स्थिति में सक्षम तैराक गाँव में ही उपलब्ध हो सकें।

आवंटित राशि

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये की राशि आपदा प्रबंधन की तैयारियों, शमन और क्षमता विकास के लिए आवंटित की गई है। क्षेत्र में आपदा आने पर आमजन जिला कलेक्टर से राहत प्राप्त कर सकते हैं।

क्षमता विकास

आपदा के समय व बाद में आपदा से उबरने की क्षमता होना जरूरी है अतः आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदा की स्थिति में क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। संस्थान द्वारा राज्य, संभाग व जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर विकसित किये जाते हैं। इनके द्वारा पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग देकर लोगों की क्षमता विकसित की जाती है। पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी यह ट्रेनिंग दी जाती है कि आपदा के समय गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु, बीमार, वृद्ध तथा पशुओं के बचाव के लिए किस तरह प्रयास किये जाने चाहिए। इस तरह आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए लगातार प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। आपदा आने के पहले आकलन किया जाता

बाढ़ के समय सावधानियाँ

- सबसे पहले सुरक्षित स्थान खोजें, टापू या अन्य ऊँचाई वाले स्थान पर लोगों को ले जाया जा सकता है।
- इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था हो।
- आवश्यक सामान साथ रखें।
- अफवाहों पर ध्यान न दें।

राज्य योजना आयोग के एक्शन प्लान में आपदा नियंत्रण व प्रबंधन

मध्यप्रदेश में राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदेश का 15 वर्षों का पर्सपेक्टिव प्लान, 7 वर्षों का स्ट्रेटेजिक प्लान तथा 3 वर्षों के लिए एक्शन प्लान बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी गयी हैं। आयोजना निर्माण में आपदा नियंत्रण व प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंध संस्थान सहयोगी संस्था रहेगी। इस संबंध में योजना आयोग द्वारा 6 अगस्त 2016 को आदेश भी जारी किया गया है। शीघ्र ही एक्शन प्लान को लेकर विचार मंथन शुरू होगा।

है। आपदा के दौरान बचाने की क्षमता, मॉकड्रिल ट्रेनिंग द्वारा विकसित की जाती है और आपदा की स्थिति में राहत कार्य किया जाता है। चूंकि आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा राज्य स्तर से लेकर गाँव-गाँव तक शिक्षण-प्रशिक्षण व सहयोग पहुँचाया जाता है। लेकिन आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन समितियों और आमजन का आपसी तालमेल व सामंजस्य जरूरी है। आपदा के पूर्व ही परिकल्पना कर यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि यदि बाढ़ की स्थिति में पानी बढ़ रहा है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाये, लोग अपने साथ स्वच्छ पानी, आवश्यक दस्तावेज, जरूरी दवाएँ, एक बर्तन, टार्च, रेडियो, रेनकोट और एक जोड़ी कपड़े रखें। ध्यान रहे कि पशुओं को बांधकर न रखें, बुजुर्गों और बच्चों को अकेले न छोड़ें। यह तो हो गयी आपदा के समय बचाव की बात। इन सबके बीच इस बात का अवलोकन किया जाना जरूरी है कि गलती कहाँ हुई है।

व्यक्ति, समाज और व्यवहार के स्तर पर निश्चित ही समस्या में कहीं न कहीं व्यक्ति का भी दोष है। चारागाह कम हो रहे हैं। लकड़ी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, जंगल कट रहे हैं। जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बड़ी चूक हुई है। हमें निश्चित ही जल संरक्षण को लेकर कार्य करना होगा। वृक्ष लगाने होंगे तभी मिट्टी का कटाव, जल का बहाव रुकेगा और बाढ़ पर नियंत्रण होगा।

● रीमा राय
(लेखिका स्तंभकार हैं।)

राज्य वार्षिक योजना में जिलेवार आपदा नियंत्रण हेतु राशि का आवंटन

मध्यप्रदेश में योजना निर्माण के समय जिला आपदा राहत के लिए प्रत्येक जिले में अलग से राशि आवंटित की जाती है ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में राज्य योजना आयोग द्वारा योजना निर्माण के दौरान आपदा जिला राहत, तैयारी, शमन और पुनर्वास की व्यवस्था के लिए अनुमानतः राशि आवंटित कर दी गयी है। इस संबंध में राज्य योजना आयोग द्वारा जारी आदेश व पत्र यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश

क्रमांक-2123/रा.यो.आ./2015/पी.सी. **भोपाल, दिनांक 05.02.2015**

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
म.प्र. शासन,..... विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. ..... (विभागाध्यक्ष)

विषय - वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 की अंतिम योजना सीमा।

वार्षिक योजना 2015-16 के प्रस्ताव पर चर्चा अनुसार आपके विभाग की अंतिम योजना सीमा आवश्यक कार्यवाही हेतु एतदसहः संलग्न प्रेषित है। कृपया वित्त विभाग से संपर्क कर, संलग्न पत्रक अनुसार, बजट प्रावधान कराने का कष्ट करें।

कृपया अंतिम योजना प्रस्तावों की योजनावार डाटा एंट्री एवं संशोधित प्रपत्रों को राज्य योजना आयोग की वेबसाइट http://mpplanningcommission.gov.in पर लिंक Planning Portal पर दिनांक 10.02.2015 तक अपलोड करने का कष्ट करें।

(मंगेश त्यागी)
प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, म.प्र.

विभागवार और योजनावार वार्षिक योजना 2015-16

	क्र.	विभाग/योजनाओं के नाम	आईडी	डीएस/ एसएस	सीएसएस/ एफ/ओ/जी				
						कुल	एनओआर	टीएसपी	एससीएसपी
1	2	3	4	5		6	7	8	9
72		राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) (101)							
	1	सचिवालय स्थापना	9195	SS		301.00	301.00	0.00	0.00
	2	उपकरण और गतिशीलता	9196	SS		50.00	50.00	0.00	0.00
	3	ई-गवर्नेंस और आईसीटी	9197	SS		100.00	100.00	0.00	0.00
	4	अधोसंरचना का विकास	9198	SS		5.00	5.00	0.00	0.00
	5	क्षमता संवर्धन	9199	SS		250.00	250.00	0.00	0.00
	6	तत्परता	10330	SS		100.00	100.00	0.00	0.00
	7	शमन	10331	SS		100.00	100.00	0.00	0.00
	8	प्रतिक्रिया	10332	SS		100.00	100.00	0.00	0.00
	9	पुनर्वास	10333	SS		100.00	100.00	0.00	0.00
	10	क्षमता संवर्धन डीएमआई	10334	SS		50.00	50.00	0.00	0.00
	11	आईटी/ई गवर्नेंस	10335	SS		10.00	10.00	0.00	0.00
	12	नीतिगत सुधार, उद्यम संसाधन योजना और दृष्टि 2018	10336	SS		19.00	19.00	0.00	0.00
	13	जिला राहत	11001	DS		510.00	510.00	0.00	0.00
	14	जिला तैयारी	11002	DS		575.00	575.00	0.00	0.00
	15	जिला शमन	11003	DS		510.00	510.00	0.00	0.00
	16	जिला प्रतिक्रिया	11004	DS		510.00	510.00	0.00	0.00
	17	जिला पुनर्वास	11005	DS		510.00	510.00	0.00	0.00
		कुल				**3800.00**	**3800.00**	**0.00**	**0.00**

सेण्डाई फ्रेमवर्क 2015 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

आगामी 13 अक्टूबर को आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (ERDMP) विषय पर आयोजित दो दिवसीय चलने वाली इस संगोष्ठी में उद्योग जगत, शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाएं, रेगूलेटरी एजेन्सी के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह कार्यक्रम सेण्डाई फ्रेमवर्क 2015 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न उद्देश्यों पर केन्द्रित है। अपेक्षा है कि आकस्मिक पर्यावरणीय समस्या और आपदा प्रबंधन को लेकर सेण्डाई फ्रेमवर्क 2015-30 योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संगोष्ठी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न पक्षों के क्षमता विकास के लिए कारगर सिद्ध होगी। इस संगोष्ठी के माध्यम से आपदा प्रबंधन संस्थान का प्रयास है कि आपदा प्रबंधन को आपदा की दृष्टि से न देखा जाये बल्कि पूर्णता की लिंक के रूप में विकसित किया जाये। ताकि आपदा से समाज में कोई व्यवधान न आए और जीवन के सभी पक्ष कार्य, व्यवहार, उद्योग तथा व्यापार बाधा रहित हो सके।

गांवों में जल प्रबंधन से रुकेगी बाढ़

हमारे देश में हर साल गर्मियों में हम पानी के लिए लोगों को जूझते देखते हैं तो बारिश होते ही गांव और शहर जलमग्न लगते हैं। यह स्थिति प्रकृति की मार से कहीं ज्यादा हमारे कुप्रबंधन का नतीजा है। बारिश के रूप में बरसा ये आसमानी अमृत गांवों में बाढ़ की आफत न लाए इसके लिए कुछ व्यवस्था की जरूरत है। ये उपाय अगर गांव में ग्राम पंचायत की अगुआई में समय रहते अपनाए जाएं तो बारिश ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि खेती के लिए आशा बनकर खुशी के भाव लाएगी।

जगह-जगह हों स्टॉपडेम - बारिश का पानी गांवों में बाढ़ रूपी परेशानी तभी लाता है जब उसका उपयोग करने के लिए सरकारी तंत्र पर कोई योजना नहीं हो। गांव में बारिश के साथ तेज धारा के साथ बहने वाले पानी के संचय के लिए जगह-जगह स्टॉपडेम बनाए जाने की जरूरत है। देखने में आया है कि प्रशासन व पंचायत स्तर पर जिन गांवों के क्षेत्र में जगह-जगह स्टॉपडेम बनाए गए हैं वहां बारिश का पानी एक साथ तेज बहाव में न आकर बीच में जगह-जगह गति बाधित होकर बहता है। इससे गर्मियों में उपयोग के लिए यह पानी संचित हो जाता है तो दूसरी ओर गांवों में जलभराव की स्थिति भी निर्मित नहीं होती।

गांव में पानी के निकास के लिए हों नालियां - गांव में बारिश के समय में जलभराव का एक बड़ा कारण ग्राम पंचायत द्वारा गांव में पानी के निकास के लिए इंतजाम न होना है। आमतौर पर गांवों में बारिश के अलावा अन्य दिनों में घरों से बहने वाला घरेलू उपयोग का पानी आसपास ही बहता और सूखता रहता है। बारिश में इस अव्यवस्था के कारण आसपास के ऊँचे धरातल से तेज गति से बहता पानी ढलान वाली बस्ती में जमा हो जाता है। इस बरसाती जलभराव को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों को गांव के लिए समुचित जल निकासी सिस्टम विकसित करना चाहिए। गांव की रिहायशी बस्तियों में चारों तरफ से आने वाले पानी के निकास के लिए नालियां बनाई जानी चाहिए। ये नालियां व पहाड़ी और पठारी भूमि से आने वाले तेज बहाव वाले पानी की दिशा बस्ती से दूर ढलान वाली भूमि की ओर जानी चाहिए। इससे बरसात में बाढ़ के रूप में न भरकर पानी बहता हुआ गांव की बस्ती से बाहर निकल जाएगा और जलभराव का संकट नहीं आएगा।

अगर नजदीक में हो जलाशय तो प्रशासन बनाए नहर

मध्यप्रदेश के हजारों गांव विभिन्न जलाशयों और तालाबों के नजदीक बसे हुए हैं। इन गांवों में बरसात के मौसम में बाढ़ के कारण काफी अफरा तफरी का माहौल बनता है। इन गांवों को हर साल की बाढ़ से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन नीति की जरूरत है। इसके तहत बरसात के बाद बढ़े जलस्तर से बाढ़ का खतरा रोकने के लिए पानी को अन्य जगह भेजना सार्थक कदम है। इसके लिए अन्य बड़े जलाशयों की तरह गांवों के पास बने जलाशयों से भी छोटी-छोटी नहरें निकाली जानी चाहिए। इससे अतिरिक्त पानी अन्य छोटे जलाशयों या नदियों में बहने से गांव बाढ़ के संकट से बच सकेंगे।

जिला कन्ट्रोल रूम से सतत संपर्क जरूरी

ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली बाढ़ का एक प्रमुख कारण यह है कि जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय व बताई गई सावधानियों की गांव के लोगों को सतत जानकारी नहीं होती इसके लिए जिला कंट्रोल रूम से गांव के सरपंच, सचिव और कोटवार को नियमित संवाद रखना चाहिए। ये सावधानी जलाशयों के नजदीक व घाटी या ढलान क्षेत्र में बसे गांवों के संबंध में अति आवश्यक है। प्रशासन से सतत संवाद के चलते गांव में अगर बाढ़ की आशंका बनती भी है तो जिला प्रशासन जलस्तर को कम करने व जलबहाव की दिशा बस्तियों से दूर करने का समय रहते उपाय कर सकेगा।

ये सामान रखना जरूरी - कहते हैं कि सावधानी में ही सुरक्षा है। गांवों में बाढ़ के खतरे से बचने के लिए ग्रामीणों को बरसाती मौसम में पहले से आपदा प्रबंधन किट घर में तैयार करके सबकी जानकारी वाले स्थान पर रख देना चाहिए। इस किट में एक टार्च व अतिरिक्त सेल, रस्सी, पानी की खाली बोतल, कुछ पैकिट में सूखी खानपान की सामग्री, माचिस व जीवनरक्षक दवाएं आदि होना चाहिए। यह आपदा प्रबंधन किट गांव के पंचायत भवन, सरपंच, सचिव कोटवार के पास भी होना चाहिए ताकी बाढ़ या जलभराव के संकट में ग्रामीणों व पशुओं के जीवन की रक्षा कभी भी की जा सके।

● **विवेक पाठक**
(पत्रकार व स्तंभकार)

कठिन डगर पर सही राह

मौसम की दुश्वारी से फसल सुरक्षा के लिये जरूरी है नियमित प्रबंधन

पिछले साल अलनीनो प्रभाव के कारण असामयिक वर्षा से संघर्ष के बाद, इस बार खरीफ फसलें अतिवृष्टि के चक्रवात से जूझती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के हिसाब से अभी मानसून विदा होने में कुछ वक्त और बकाया है। जबकि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सवाई से ड्योढ़ी वर्षा हो चुकी है। कई जगह नये कीर्तिमान स्थापित कर वर्षा ने सामान्य व्यवस्थाओं को तो अस्त-व्यस्त और ध्वस्त तो किया ही फसलों को भी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके आगे सब ठीक होगा। फिलहाल यह आशा ही की जा सकती है। भविष्यवाणी नहीं। अच्छा हो यदि नुकसान के आंकड़े बस यहीं ठहर कर रह जायें।

वर्तमान कृषि परिदृश्य - खरीफ 2016, शानदार आरम्भ के साथ जून के अंतिम सप्ताह से अपेक्षित गति से चला। जुलाई में तेज बौछारों ने सीड ड्रिल और दुफन-तिफन को अवकाश तो दिलाया। फिर भी तापमान में गिरावट न आना बोवनी जारी रखने में सहयोगी रहा। अनुमान है कि 131 लाख हेक्टेयर के कुल क्षेत्राच्छादन लक्ष्य की तुलना में 124 लाख हेक्टेयर ही बोया जा सका है। पिछले साल की कुल बोई गयी फसलों की तुलना में 98 प्रतिशत। इस कमी का प्रभाव सर्वाधिक सोयाबीन की बोवाई पर पड़ा। किसानों ने धान, मक्का, बाजरा और कोदों-कुटकी की बोवाई अनुमान से थोड़ी बहुत ज्यादा ही की। कुल अनाज की बोवनी गत वर्ष की तुलना में 105 प्रतिशत, 40 लाख 27 हजार हेक्टेयर में हुई। आशा के अनुरूप दलहन फसलों में किसानों ने भरपूर रुचि दिखाई। खासतौर पर मूंग, उड़द और तुअर किसानों की पसन्द बने। दालों के ऊँचे भावों

के साथ सरकारी प्रोत्साहन भी इसकी खास वजह रही। इसलिये तुअर की बोवनी पिछले साल की तुलना में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक कुल 6 लाख 90 हजार हेक्टेयर रकबे में उड़द 2-4 लाख हेक्टेयर तथा मूंग भी गत वर्ष से अधिक क्षेत्र कुल 2-5 लाख हेक्टेयर में बोई गई। कुल मिलाकर दाल वाली फसलें लगभग 21 लाख हेक्टेयर में बोई गई जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर अधिक है। सोयाबीन के रकबे में बड़ी गिरावट को तथापि किसानों का सोयाबीन के प्रति मोह भंग होना नहीं कहा जायेगा। इसे मौसम के अनुकूल कृषि विशेषज्ञों की सलाह को किसानों द्वारा सम्मान दिया गया कहा जाना अधिक उपयुक्त है। प्रसार माध्यमों की सफलता भी कह सकते हैं। शासन तंत्र की रणनीति यहां कामयाब होती लग रही है। क्योंकि वर्षा और बाढ़ के कारण सर्वाधिक क्षति का संकेत भी सोयाबीन की ओर ही है। 52 हजार हेक्टेयर रकबे की सोयाबीन को क्षति पहुँचने का अनुमान है। तुअर को 37.5 हजार हेक्टेयर उड़द को 37.7 हजार हेक्टेयर मूंग को 8.4 हजार हेक्टेयर तिल को 8 हजार हेक्टेयर मक्का को 5 हजार हेक्टेयर धान को 2 हजार हेक्टेयर तथा बाजरा को 1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान होने की आशंका है। नुकसान अभी और बढ़ सकता है यदि सितम्बर में वर्षा देर तक जारी रही अथवा परिपक्वता की स्थिति

में बारिश हुई। वहीं नुकसान कम होकर फायदेमंद हालात बन सकते हैं यदि मौसम फसलों की स्थिति के अनुकूल खुला रहे। अभी फली बनने के लिये नमी पर्याप्त है। धान के विकास के लिये खेतों में भरपूर पानी है। कपास की बढ़वार के लिये भी आद्र-उष्ण वातावरण अच्छा है।

मौसम के इन तेवरों ने हमें नया सबक दिया है और खेती के विकास के लिये चिन्तकों को अनये सिरे से सोचने को मजबूर किया है। किसानों को मुआवजा, बीमा राहत और अनुदान से नुकसान की भरपाई के प्रयास सरकार हमेशा की तरह कर रही है। लेकिन क्षति कम करने के उपायों की गणना करना वर्तमान में उपयोगी है। आगे भी उपयोगी रहेगा। किसानों-वैज्ञानिकों और नीति निर्देशकों के गहन चिन्तन के लिये समय अनुकूल है।

तकनीकी सफलताएं

खरीफ फसलों की स्थिति देखकर यह सिद्ध हुआ कि खेती की नई तकनीकें कारगर हैं। इनका प्रसार बहुलता से होना चाहिये। सोयाबीन में रेज्ड बेड व रिज एन फरो तथा धान में एसआरआई पद्धति ने अधिक पानी की स्थिति से फसलों को बचाया और विकसित करने में मदद भी की। जल्दी आने वाली नई किस्मों के बीज वहां कारगर रहे, जहां जमीनें हल्की हैं। कृषि यंत्रों ने काम को आसान बनाया, समय से पूरा करने का

क्या करें और क्यों

- बरसात में भूमिगत फफूंद को फैलने के भरपूर अवसर मिले-पौधों की प्रारम्भिक अवस्था में रोग न लगें इसलिये बीजोपचार करें।
- नत्रजन स्थिरीकरण तथा स्फुर घोलक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि के लिये जीवाणु खादों का प्रयोग करें। यह बीजोपचार के समय करें अथवा देशी खाद के साथ जीवाणु कल्चर मिलाकर।
- सितम्बर में दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर आदि बोने या तिलहनी फसल जैसे सरसों-तोरिया आदि की शीघ्र पकने वाली किस्मों की बोवनी कर सकें तो नवम्बर अंत या दिसम्बर के पहले पक्ष तक आप गेहूं बो सकते हैं। इस तरह सोयाबीन के साथ तीन फसलें एक खेत से ली जा सकती हैं।
- बीज प्रमाणित होना आवश्यक है। यदि नहीं है तो फिर किसी अधिकृत विक्रेता से ही लें। किस्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।
- फसल का चुनाव, अपने खेत की मिट्टी के अनुसार करें। हल्की, मध्यम तथा गहरी मिट्टी के अनुसार क्रमशः शीघ्र मध्यम और देर से पकने वाली किस्म चुनिये।
- यह देख लें कि आपके पास जल स्रोत क्या है। कुआं है तो कितनी गहराई तक पानी है। ट्यूबवेल है तो अनुमानित जल प्रवाह कितना है। नाले हैं तो कितने दिन तक पानी भरा रह सकेगा। तालाब है तो उसके हितग्राहियों के हिसाब से पानी का बंटवारा कैसे होगा। तभी उपयुक्त फसल का चुनाव करें।
- एक से अधिक फसलें बोयें यदि आपके पास पर्याप्त भूमि है। एक से अधिक किस्में बोयें, यदि आपके खेत अलग-अलग हैं या अलग प्रकार की भूमि है।
- सब्जी तथा ज्यादातर उद्यानिकी फसलों में बाजार की मांग और क्षेत्रीय किसानों का रुझान देखकर जरूरी निर्णय लें। इस वर्ष देखा-देखी प्याज, धनिया, गोभी, टमाटर, लोकी आदि बोने वाले किसानों को दरों में कमी का खामियाजा उठाना पड़ा।
- वहीं औषधि फसलों और फलों की खेती करने वाले सामूहिक रूप से खेती करके बाजार विकसित करें। अश्वगंधा, सर्पगंधा, लेमन ग्रास, मूसली, कोलियस आदि की खेती करने वालों के नजदीक बाजार न होने पर खेती करना जोखिमपूर्ण होगा।
- खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध हों तो अवश्य ही उसकी क्षमता के अनुरूप आपूर्ति की जाने योग्य खेती करें।
- नई सूचनाओं से अवगत रहने के लिये इन्टरनेट, टीवी, कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि अधिकारियों से नित्य सम्पर्क में रहें।

माध्यम बने। प्रदेश में बढ़ता यंत्रीकरण आधुनिक खेती की दिशा में अग्रसर है। निर्बाध आदान आपूर्ति ने भी शासकीय तौर पर किसानों को सहयोग किया।

सुरक्षित कार्य योजना

खेती की सफलता के कुछ स्थाई सूत्र हैं जो किसान भाइयों को गांठ बांधकर सुरक्षित रखना चाहिये। इनमें ढाल के विपरीत कृषि कार्य कीट-रोग और खरपतवार रहित स्वच्छ बीज, ढलान वाले खेतों के अंत में ट्रेन्चिंग, मेड़ों का उपयोग, अरहर, तिल या मध्यम फैलाव वाले फल वृक्षों के लिये करने बीजोपचार तथा जीवाणु खादों का प्रयोग बीज के साथ करने, कुओं व ट्यूबवेल का रिचार्ज करने, अन्तरवर्ती खेती करने आदि पर ध्यान देना ही होगा।

मौसम के पूर्वानुमान के साथ बाजार की मांग के पूर्वानुमान को अपने पक्ष में ढालना किसानों को समझना पड़ेगा। अब जबकि शासन जलवायु विविधता आधारित कार्य योजना बना चुका है तो जिला स्तरीय फसल कार्यक्रम का लाभ किसानों तक पहुंचे, यह बहुत सोच-समझ कर अपनाना होगा। रबी मौसम सामने है। इसके बाद भी खरीफ-रबी फसलों का कदमताल बदस्तूर जारी रहेगा। इसलिये जितना फोकस फसल चयन पर रखा जा सके बेहतर है।

विविधतापूर्ण कृषि के लिये आर.के.वी.वाय. की परियोजनाओं से वित्त पोषित कार्य किसानों तक पहुंच रहे हैं। छोटे-छोटे प्रक्षेत्रों के समूह बनाकर उन्हें पशुपालन मुर्गीपालन उद्यानिकी के साथ खेती करने के लिये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इनकी देखा-देखी अन्य किसान भी खेती की मुख्य धारा में सहयोगी शाखाओं को जोड़ सकेंगे तो क्रान्तिकारी परिणाम मिल सकते हैं। पपीता, सन्तरा, नींबू, आंवला, अनार जैसे पौधे हमारी जलवायु के पूरी तरह अनुकूल हैं। कृषि और बागवानी की मुख्य फसलों के साथ इनकी कतारों में खेती दोहरा लाभ देने वाली है। पर्यावरणीय दोष दूर करने, हवाओं से फसल को गिरने न देने जैविक खादों के लिये वानस्पतिक कूड़े का योगदान देने के अलावा जल क्षरण से बचाव तथा वाष्पन को रोकने का अद्‌भुत कार्य भी इन फलदार पौधों द्वारा किया जाता है।

रबी मौसम में संभावना

भरपूर वर्षा ने रबी फसलों की ठोस बुनियाद रख ही दी है। अनुमान किया जा रहा है कि गत वर्षों से अधिक क्षेत्र में रबी फसलें बोयी जायेंगी। पिछले तीन वर्षों में वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक 110-58 लाख क्षेत्रफल में रबी फसलें बोयी गयी थीं।

विगत वर्ष 2015-16 में 109-11 लाख हेक्टेयर में। लेकिन इस वर्ष अनुमान है कि 117 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोयी जायेंगी। यानि लगभग 6 लाख हेक्टेयर का इजाफा होगा। सबसे ज्यादा लाभ गेहूं, चना, मटर, मसूर आदि फसलों को होगा। वैसे थोड़ा-थोड़ा क्षेत्रफल सभी फसलों का बढ़ सकता है। यानि अवसर पूरी तरह किसान के हाथ में हैं कि वे अधिक से अधिक बोवाई करके ज्यादा मुनाफा कमाएं। जिन क्षेत्रों ने जल अतिरेक के कारण नुकसान उठाया है उनके लिये भी यह क्षतिपूर्ति का बड़ा अवसर है। खाली खेतों में पहले बोवनी करके वे अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हैं।

● **एस.व्ही. श्रीवास्तव**
(लेखक कृषि सूचना एवं प्रकाशन इकाई से संबद्ध हैं)

कुपोषण से मुक्त होने वाली पंचायतें होंगी पुरस्कृत

बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार लाकर जो भी ग्राम पंचायत कुपोषण से मुक्त होगी, उसे पुरस्कृत किया जायेगा। यह बात महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कही। उन्होंने बताया कि अगले एक वर्ष में कुपोषण से मुक्त होने वाली पंचायत को उनकी स्थिति का आकलन कर पुरस्कृत किया जायेगा। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने बताया कि कुपोषण को समाप्त करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें जन-सहभागिता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये विभाग ने पुरस्कार योजना शुरू की है। योजना के अनुसार पुरस्कृत पंचायत के सरपंच को 2100 रुपये, जन-समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर 1100 रुपये, आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, एएनएम और पंचायत सचिव को 1100-1100 रुपये और ग्राम पंचायत को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र बनाये जाने पर 5000 की नगद राशि से पुरस्कृत किया जायेगा।

ग्राम पंचायत को कुपोषण मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया

कुपोषण मुक्त पंचायत को घोषित करने के लिये ग्राम पंचायत को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला महिला-बाल विकास अधिकारी को घोषणा-पत्र देना होगा। इसकी पुष्टि थर्ड पार्टी से करवायी जायेगी। आगामी 6 माह से एक वर्ष तक पोषण मुक्त होने की निरंतरता रहने पर ही पुरस्कार दिया जायेगा।

अतिवर्षा से कृषि क्षेत्र में हानि की भरपाई

भारत वर्ष में खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। इस दौरान कृषकों ने कई उतार चढ़ाव देखे और तरह-तरह के बीज एवं तकनीकी जो तत्समय की बदलती परिस्थिति के अनूकूल थी को विकसित किया। भारतीय किसान कभी भी परिस्थितियों से हार मानकर निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं और न ही उससे विमुख हुआ। इसीलिये भारत वर्ष में कृषि का विकास हुआ और देश की कृषि प्रधान देश के रूप में पहचान बनी।

वैश्विक तापमान वृद्धि के फलस्वरूप मौसम में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इनमें प्रमुख है असामान्य वर्षा, कम वर्षा, अति वर्षा, वर्षाकाल के दौरान कम समय में भारी वर्षा। गत 3-4 वर्षों से कम वर्षा के बीच इस वर्ष अतिवर्षा से जहां एक और उत्साह का वातावरण है वहीं दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति के कारण खरीफ की फसलों विशेष रूप से सोयाबीन एवं दलहनों को भारी नुकसान हुआ है। इस प्रकार पानी की पूर्ति के साथ-साथ क्षति की पूर्ति के उपाय किये जाने आवश्यक हैं। पुनः उल्लेखित किये जाने योग्य होगा कि भारतीय कृषक ने विपरीत परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी और असफलता के बाद भी वापस खड़ा होकर उसके रास्ते निकाले। वर्तमान समय में विशेष रूप से अति वर्षा से खेती को सुरक्षित रखने का रास्ता निकालने की जरूरत है। यह इसलिये भी आवश्यक है कि वैश्विक तापमान बढ़ने के साथ यह स्थिति तो अब निर्मित होती रहनी है। आइये हम चर्चा करते हैं खेती में अधिक वर्षा से नुकसान के प्रकार एवं उनसे

वर्तमान समय में विशेष रूप से अति वर्षा से खेती को सुरक्षित रखने का रास्ता निकालने की जरूरत है। अति वर्षा के फलस्वरूप जल भराव और मिट्टी कटाव से हुए नुकसान की भरपाई के लिये अभी भी उचित प्रबंधन किये जायें तो वर्षा का वेग कम होते ही फसलों का उत्पादन लेकर भरपाई की जा सकती है। प्रारंभिक कटाव को रोकने के लिये खेत में जहां से भी छोटी बड़ी नालियां बनना प्रारंभ हो रही हैं, उन पर बहाव के विरुद्ध दिशा में पत्थर, लकड़ी के लट्ठे, बिजली के टूटे-खंभे या सीमेंट की खाली बोरियों में रेत, मिट्टी भरकर लगाये जा सकते हैं। इस तरह ढलान के ऊपर से नीचे की तरफ अवरोधक बनाकर काफी मात्रा में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है।

निजात पाने के उपाय-

बहुमूल्य मिट्टी का ह्रास

भारी या अति वर्षा की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान मिट्टी का होता है। जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी और नदी नालों के किनारों की मिट्टी कट कर बह जाती है। इन्हें रोकने के उपाय तो अप्रैल-मई के महीनों में ही करने चाहिये थे। जो मिट्टी बह गई, उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता। परन्तु जो अब बची है उसे समय पर रोकने के उपाय करना आवश्यक हैं। सामान्य तौर पर मिट्टी का कोई मोल नहीं करता और उसके बहने पर कोई ज्यादा सोच विचार भी नहीं करता। हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि मिट्टी अनमोल है। एक इंच मिट्टी की सतह बनने में लगभग 500-1000 वर्ष का समय लगता है। जबकि एक वर्षा में ही यदि कटाव के समुचित प्रबंध नहीं किये गये तो कई इंच मिट्टी बहकर चली जाती है। यह करोड़ों रुपये के बनाये गये जलाशयों तालाबों एवं नदी नालों में गाद के रूप में जमा होकर उनकी क्षमता को धीरे-धीरे कम करती है। एक आंकलन अनुसार एक वर्ष में भारत वर्ष में 2 लाख हजार करोड़ की मिट्टी इस प्रकार नष्ट हो जाती है। अति वर्षा के फलस्वरूप जल भराव और मिट्टी कटाव से हुए नुकसान की भरपाई के लिये अभी भी उचित प्रबंधन किये जायें तो वर्षा का वेग कम होते ही फसलों का उत्पादन लेकर भरपाई की जा सकती है।

मिट्टी प्रबंधन

इस समय मिट्टी के कटाव को पूर्णतः तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि गीली होने के कारण मिट्टी के बंधान नहीं बनाये जा सकते। फिर भी प्रारंभिक कटाव को रोकने के लिये खेत में जहां से भी छोटी बड़ी नालियां बनना प्रांरभ हो रही हैं। उन पर बहाव के विरुद्ध दिशा में पत्थर, लकड़ी के लट्ठे, बिजली के टूटे-खंभे या सीमेंट की खाली बोरियों में रेत, मिट्टी भरकर लगाये जा सकते हैं इस तरह ढलान के ऊपर से नीचे की तरफ अवरोधक बनाकर काफी मात्रा में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इस प्रकार बची हुई बहुमूल्य उपजाऊ मिट्टी, सितम्बर-अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल का भरपूर उत्पादन

देगी। जब पानी इन अवरोधों के रास्ते रुक-रुक कर बहेगा तो जमीन के अंदर जाकर भूजल की भी वृद्धि करेगा। यह पानी अगली फसल के लिये बहुमूल्य भी साबित होगा।

फसल प्रबंधन

तत्व प्रबंधन- मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सितम्बर माह में भी भरपूर वर्षा होने की संभावना है। फिर भी 15 सितम्बर तक मानसून की बिदाई की संभावना बताई जा रही है। खेतों में नमी देर तक बनी रहेगी। अतः जिन खेतों में फसल अतिवर्षा के कारण नष्ट हो गई, पानी की बाढ़ में बह गई या फिर खेतों में बोनी ही नहीं हो पाई उनमें बतर आते ही कम अवधि की फसल या सब्जियों की बोनी करके रबी की फसल ली जा सकती है।

नमी की अधिकता के कारण इस प्रकार के खेतों में खरपतवार की भरमार हो गई है। समय मिलते ही इन्हें काटकर खेतों में डाल देने से ये खेत में ही सड़-गल जावेंगे। जैसे ही खेत में बतर आ जाए वैसे ही रोटावेटर चलाकर इन्हें अच्छे से खेत में मिला देने से अगली फसल को जैविक खाद भी मिल जायेगी। रासायनिक खाद की आवश्कता नहीं होगी तथा अनावश्यक व्यय से भी बचा जा सकेगा।

दूसरी तरफ इस समय खेत के आसपास मेडों और सड़क के किनारे भी खरपतवार की भरमार है। साथ ही पशुधन भी अधिकतर बाहर नहीं जा रहे हैं, तो पशुशाला में गोबर एवं गोमूत्र भी काफी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। इन दोनों उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर नाडेप कम्पोस्ट तथा वर्मी खाद कम अवधि में तैयार किया जा सकता है। इनका उपयोग भी अगली फसल में किया जा सकेगा। कम अवधि की फसल वृद्धि एवं तत्व पूरक के लिये तरल जैविक खाद विशेष रूप में गोमूत्र मटका खाद, बायोगैस स्लरी, अमृत पानी, मछली टानिक, कारडा पानी, वर्मीवाश, सोयाबीन टानिक गारबेज एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है।

कीट प्रबंधन

फसल रक्षक के रूप में वनस्पति एवं गोमूत्र की भूमिका प्रमुख है। इनका विभिन्न उपयोग फसल रक्षक के रूप में किया जा सकता है। अधिकतर जैविक फसल रक्षक का कार्य कीड़ों को फसल से दूर रखना होता है।

कीट प्रबंधन में प्रमुख है बीजोपचार। गोमूत्र, हींग एवं ट्रायकोडरमा इसके लिये बहुत ही उपयुक्त हैं।

फसल रक्षक के रूप में फसल बोने के 15 दिनों बाद 10 प्रतिशत देशी गाय का गोमूत्र और इसके बाद 10-15 दिनों के

कम अवधि की फसल वृद्धि एवं तत्व पूरक के लिये तरल जैविक खाद विशेष रूप में गोमूत्र मटका खाद, बायोगैस स्लरी, अमृत पानी, मछली टानिक, कारडा पानी, वर्मीवाश, सोयाबीन टानिक गारबेज एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है।

अंतराल पर तीन मटका प्रणाली-एक में गोमूत्र दूसरे में मट्ठा और ताम्रपात्र तीसरे में निम्बोली या नीम की पत्ती से तैयार घोल, पांच प्रति काढ़ा, दस प्रति काढा, लहसुन-अदरक, हरी मिर्च के साथ या इनके बिना, गोबर-गोमूत्र नीम की पत्ती का घोल, देशी गाय के दूध का छिड़काव, छाछ-हींग, ताम्रपत्र के घोल का उपयोग लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्र कीटों का उपयोग, एन.पी.व्ही. काफी प्रभावी कीट रक्षक है। फेरोमेन ट्रेप, लाइट ट्रेप एवं लकड़ी की खुटियां का उपयोग भी लाभदायक रहता है।

उपरोक्त जैविक विधियों से तत्व तथा कीट प्रबंधन करने से कम से कम खर्च में प्रभावी ढंग से अतिवर्षा से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

फसलों का चयन

अतिवर्षा से नष्ट हुए खेतों अथवा फसल नहीं बोये गये खेतों में फसलों का चयन विशेष महत्व रखता है। ऐसी फसलों या सब्जियों का चयन करना होगा जो कम से कम अवधि में उत्पादन दे सके और रबी की मुख्य फसल बोने के लिये समय पर खाली हो सके।

मुख्य फसलें - टाईप 9, अग्रणी बी-54, जवाहर तोरिया-1, जे.एम.टी. 689 टाईप 36

बटरी - स्थानीय किस्में।

हरी मटर (सब्जी के लिये) - अर्किल, काशी नंदिनी, काशी उदय, काशी मुक्ति, मटर अगेती, जवाहर मटर 4, पूसा प्रगति।

चना - सब्जी के लिये जे.जी. 218, जेजी 130, जेजी 11, विजय, उज्जैन 21, काक 2, जे.जी. के. 3

सब्जियां

1. अगेती आलू - 75-90 दिनों में तैयार होने वाला। प्रमुख किस्में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोक, कुफरी लौकर, कुफरी पुखराज, कुफरी ख्याति, कुफरी जवाहर।

2. प्याज - हरी सब्जी के लिये- नाफेड 53, एग्रीफाउंड, व्हाइट सी.ओ. 3

3. पालक- आलग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित।

4. धनिया - हरी पत्ती के लिये- कट धनिया, स्थानीय किस्में।

5. मैथी - स्थानीय किस्में, गुजरात मैथी 2, राजेन्द्र क्रांति, हिसार सोनाली, कोयम्बटूर 2, आर.एम.टी. 1

6. चौलाई - पूसा किरण, पूसा लाल चौलाई, अर्का समरक्षा, पूसा छोटी चौलाई, पूसा बड़ी चौलाई।

7. मूली- काशी स्वेता, काशी हंस, पूसा देशी, पूसा रेशमी।

उपरोक्त फसलों तथा सब्जियों की किस्मों के अलावा स्थानीय तौर पर विकसित जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का उपयोग किया जाना उपयुक्त रहेगा। इन फसलों के बाद रबी की नियमित फसलों की बोनी करके दोनों ही फसलों का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है।

● **डॉ. जी.एस. कौशल**
(पूर्व संचालक कृषि, मध्यप्रदेश)

अब समय आ गया है, जब हमें अपने विकास मॉडल को एक बार गहराई से देखना होगा। हम समझ लें कि केवल पर्यावरण मित्र विकास मॉडल ही अंतिम विकल्प है। ऐसा मॉडल ही कारगर होगा जो प्रकृति से तालमेल बैठाकर बनाया गया हो। विकास की कीमत पर प्रकृति का दोहन, गंभीर असंतुलन पैदा कर रहा है। यह असंतुलन एक सीमा के बाद 'irreversible' होकर विनाश की ओर मुड़ जाता है, बस यहीं से आपदायें, विनाश, तबाही, विध्वंस और कुदरती कहर शुरू हो जाता है। विकास तभी सार्थक, तर्कपूर्ण और संतुलित होगा जब प्रकृति सुरक्षित रहे। विकास के नाम पर दंभ, उद्दंडता, पाखंड और लालच की बेलगाम ललक बेहद घातक है। कुदरत को नोचने और कुतरने को आमादा ये भीड़ ठीक नहीं। ऐसे विकास का आडंबर और दंभ तो मिटना तय है। बाढ़ जैसी ये आपदायें यकीनन एक गंभीर सबक भी है।

सूखे की मार के बाद बाढ़ का कहर

आधा भारत खौफनाक बाढ़ की चपेट में है। देश के दस राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। दुनिया में भी अमेरिका, चीन, यूरोप और लैटिन अमेरिका सहित विश्व के अनेक भागों में अति वर्षा और बाढ़ का तांडव हम विकराल रूप में देख रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदांचल, मालवा और निमाड़ में बाढ़ का कहर जारी है। बेइंतहा तबाही जारी है। जनहानि के साथ बड़ी संख्या में पशुधन, फसलें, आबाद बस्तियां, धर्मस्थल और कारोबारी इलाकों में भारी क्षति हुई है। मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में समूचा जनजीवन अस्त-व्यस्त है। अनेक इलाकों में लोग अपने घर, खेत और कारोबार को छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हैं।

बाढ़ से करोड़ों की क्षति

भारत के जल संसाधन संस्थान के एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष अब तक 47 हजार करोड़ की क्षति हो चुकी है। 12 करोड़ लोग प्रभावित हुये हैं। अन्य आपदाओं को भी जोड़ लें तो यह क्षति 67 हजार करोड़ की है। दुर्भाग्य की बात ही है कि इस बाढ़ से तेजी से विकास की ओर कदम बढ़ाते मध्यप्रदेश और समूचे देश की गति थम जाती है। अधोसंरचना विकास में होने वाला निवेश इन आपदाओं की बलि चढ़ रहा है।

लगातार वर्षा से अधिकांश नदियां मौसमी नदियां, क्षेत्रीय नदियां और नाले उफान पर हैं। नदियों एवं बांधों के डूब और जल ग्रहण क्षेत्रों में अचानक भारी जलभराव और जलबहाव से हालात बिगड़े हैं। प्रशासन, सरकार, आपदा प्रबंधन और नियंत्रण संस्थायें, सेना और सामाजिक संस्थायें अपनी संपूर्ण शक्ति और संसाधनों के साथ जुटी हैं। ऊंची जगहों, छतों, पहाड़ियों, पेड़ों और दुर्गम ग्रामीण अंचलों में लोग फँसे हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश और प्रदेश अवर्षा और अल्प वर्षा से जूझ रहा था। सूखे की मार से अभी उबर भी नहीं पाये थे कि अतिवर्षा ने बाढ़ पैदा कर नई मुश्किलें पैदा कर दीं। पानी बचाने की बात करते-करते, पानी से बचने की चुनौती आ पड़ी। यह बरसात इस वर्ष बाढ़ के साथ मुसीबतों और हादसों की बाढ़ भी लाई है।

क्या हैं बाढ़ के कारण

बाढ़ से उपजी आपदाओं के मूल कारणों की छानबीन, विश्लेषण और चिंतन करें तो दो स्तरों पर इस बर्बादी की इबारत लिखी दिखाई देती है। एक तो स्थानीय, दूसरे-वैश्विक। स्थापित स्थानीय कारणों में वहां के भूगोल, जलस्रोत, भौगर्भिक संरचनायें (मिट्टी, चट्टानें इत्यादि) बसाहट, अतिक्रमित ड्रेनेज व्यवस्था, औसत वर्षा, जंगल, पठार, जल स्रोतों का रख-रखाव और संरक्षण, जल निकासी व्यवस्था, प्राकृतिक घटकों का विनाश, हमारी बिगड़ती जीवन शैली और प्रकृति से लगातार बिगड़ता तालमेल शामिल है। वैश्विक कारणों में बेलगाम आबादी, प्राकृतिक संसाधनों का हिंसक दोहन और

उनका क्षय, मौसम परिवर्तन, पिघलते हिमनद, बढ़ती गर्मी, उफनता समुद्र, घटते ग्रीन कवर, टूटती बिखरती नदी व्यवस्था, विघटित होता पर्यावरण और तालमेल खोती पारिस्थितिक प्रणालियां शामिल हैं। सूक्ष्म स्तर पर बाढ़ के अन्य कारणों की छानबीन करने बैठें तो दर्जनों अन्य कारण भी बाढ़ सहित अन्य आपदाओं के लिये जिम्मेदार हैं। इस असंतुलन और पर्यावरणीय विनाश के प्रभाव से कुदरती जल-चक्र भी अछूता नहीं रहा। इसी का परिणाम है अतिवर्षा, अल्पवर्षा, बाढ़, सूखा, समुद्री चक्रवात, भूकंप, तूफान और अनेक ऐसी आपदायें जिनका पूर्वानुमान भी संभव नहीं है। आज देशभर के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से बाढ़ के संकट में हैं। अगले वर्ष नये इलाके फिर इसी तरह की मुसीबतों से जूझ सकते हैं। दुखद है कि इन आपदाओं की संख्या, तीव्रता और विस्तार बड़ा हो रहा है।

पर्यावरणविदों की चेतावनी

पर्यावरणविदों और मौसम विज्ञानियों के स्पष्ट संकेत हैं कि भविष्य में दुनिया को इन्हीं आपदाओं के साथ जीना, मरना और जूझना पड़ेगा। अब यह लगभग अंतिम चेतावनी है कि विश्व को बदलते मौसम, प्रदूषक उत्सर्जित गैसों की बढ़ती मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग, बदलते मानसून चक्र और अनियंत्रित जल-चक्र जैसे मुद्दों पर कठोर फैसले लेने होंगे। आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की जोनिंग कर पूर्व नियोजित रणनीति और योजना के तहत बचाव, सुरक्षा और सटीक नियंत्रण के लिये प्रयास करने होंगे।

प्रकृति किसी एक्ट, सरकारी मानक या अध्यादेशों से नहीं चलती। वह स्वयं के मानक रचती है, उन्हीं पर चलती है। एक अति संवेदनशील इकोसिस्टम (पारिस्थितिक तंत्र) से ही सब कुछ निर्धारित होता है और संतुलित भी होता है। प्रकृति की इस शाश्वत व्यवस्था में सृजन और संहार दोनों समाहित हैं। च्वाइस आपकी है। बाढ़ रूपी यह आपदा इसी संहार का एक छोटा सा नमूना है। चेत गये तो इसका बढ़ा रूप नहीं देखना पड़ेगा, अन्यथा....।

प्रकृति और पानी के साथ मनुष्य के बिगड़ते रिश्ते

धरती पर मौजूद 1.41 अरब घन

कि.मी. की विराट और विशाल जलराशि की एक-एक बूंद प्रकृति के चमत्कारी जलचक्र में कैद है। इस जलचक्र के अंतर्गत महासागर, नदियां, झीलें, भूमिगत जल, हिमनद, वर्षाजल, वर्षाबादल और वायुमंडलीय नमी सभी शामिल हैं। सुविधायें और मुश्किलें, समृद्धि और बदहाली, सुख और दुख इसी जल के संतुलित वितरण से जुड़े हैं। यदि इस जल का संतुलन है तो सुविधायें, समृद्धि और खुशहाली है, इसके विपरीत यदि असंतुलन है तो मुश्किलें, आपदायें, बदहाली और विनाश हैं। कहीं कहर बरपाती बाढ़ तो कहीं श्मशान की वीरानगी लिये सूखा इसी के नतीजे हैं। तीन तरफ से समुद्र से घिरे भारत में हजारों छोटी-बड़ी नदियां, झीलों, तालाबों के साथ अन्य जल भंडारों की विपुल जल संपदा भरी है। उसके बाद भी देश के अधिकांश भाग भीषण सूखे या बाढ़ से जूझते हैं। यदि इन आपदाओं के मूल कारणों पर नज़र डालें तो एक ही सच सामने आता है- वह है प्रकृति और पानी के साथ मनुष्य के बिगड़ते रिश्ते।

प्राकृतिक आपदा नहीं मनुष्य की लापरवाहियों की बाढ़

बाढ़ को हमेशा प्राकृतिक आपदा मानना भूल होगी। वास्तव में यह मनुष्य की लापरवाहियों की बाढ़ का नतीजा है। अधिकांश बाढ़ आपदायें अवांछित मानवीय गतिविधियों का ही परिणाम हैं। हमारे देश में 1000-1100 मि.मी. औसत वर्षा होती है। इस वर्षा जल का समुचित प्रबंधन कर देश की

जल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सतही और भूमिगत जल भंडार भरे जा सकते हैं। इसी जल के संतुलित वितरण से सूखे और बाढ़ जैसे हालातों से निपटा जा सकता है। इजराइल और खाड़ी के देशों में 400 मि.मी. प्रति वर्ष वर्षा की एक-एक बूँद सहेज कर उपयोग की जाती है।

समझें जल की मर्यादा को

जल की अपनी मर्यादा और स्वभाव है। जल के बारे में यही कहना तर्कसंगत होगा कि उसे रोककर सहेज लें, बचे तो रास्ता दे दें। जल रोककर जल भंडार भरना पहली जरूरत है। जब जल भंडार भर जायें तो इन्हें संभालें, रक्षा करें। अतिरिक्त वर्षा जल को रास्ता दे दें जिससे वह नाले, छोटी नदी, सहायक नदी और अंत में मुख्य नदी से होते हुये समुद्र में जा मिले। हमारी जल संग्रहण, प्रबंधन योजनाओं को एक व्यवस्थागत पद्धति के जरिये इन कामों को हाथ में लेना चाहिये। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल आवश्यकता 850 अरब घन मीटर है। जो 2025 तक 1050 अरब घन मीटर हो जायेगी। अभी हमारे पास केवल 500 अरब घन मीटर पानी ही है। बाढ़ को समझने के लिये राहत विश्लेषण जरूरी है। वास्तव में बाढ़ से बचने के लिये अन्य जानकारियों के साथ जल निकाय प्रबंधन को समझना अनिवार्य है, इस हेतु बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र का भूगोल, भूगर्भ रचना, परंपरागत ज्ञान और तकनीकें, मौसम पैटर्न, वर्षा की स्थिति और स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की जानकारी जरूरी है। हमारे समाज में पानी से सामंजस्यपूर्ण संबंध रखते हुये स्थानीय समुदाय में बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिये कारगर परंपरागत प्रबंधन योजनायें प्रचलित थीं। वे परंपरायें अब विलुप्त हो रही हैं।

क्या-क्या गलतियां की हैं मनुष्य ने

भारत में प्रति वर्ष कई करोड़ आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। हजारों करोड़ की फसलें और संपत्ति बर्बाद होती है। सैकड़ों असमय मौतें होती हैं। दर्जनों हृदयविदारक दुर्घटनायें होती हैं। खौफ, बदहाली, बेबशी, निराशा, बीमारियों और लंबे समय तक न भरने वाले घाव शेष बचते हैं। बाढ़ से बचाव तभी संभव था जब संग्रहीत वर्षा जल को एक रणनीति के अंतर्गत सतही जल भंडारों को भरने के लिये तैयार करते, जल रिचार्जिंग रचनायें बना भूमिगत जल भंडारों को भरते, शेष जल को बिना किसी अवरोध के बहने देते। पर ऐसा न हो सका। सतही जल भंडार इन स्रोतों की घोर उपेक्षा से समाप्त हो गये या समाप्त होने की कगार पर हैं। हमने सतही जल भंडारों जैसे नदियां, तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियां, पोखर इत्यादि को या तो धीरे-धीरे समाप्त कर दिया, या उनको मिट्टी, मलबे, कचरे से पाट दिया। बसाहट और शहरीकरण के दौर में ये सभी स्रोत खत्म हो गये। जो बचे वे गाद और कचरे से पट गये। जल स्रोतों की छाती पर मॉल, बाजार, कॉलोनियां, बस अड्डे और बेशुमार भवन तन गये। जहां वर्षा जल को रोकना संजोना था, वे रचनायें ही खत्म हो गईं। जल निकासी मार्गों पर कंक्रीट रचनाओं के अतिक्रमण हो गये। लिहाजा वर्षा जल के सतही भंडारों के भरने की क्षमता समाप्त हो गई। अतिक्रमण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हुये तो पानी रिहायशी क्षेत्रों में भरने लगा। इसी बीच पॉलीथीन, प्लास्टिक पेट, पी.वी.सी. तथा अन्य सैकड़ों तरह के पॉलीमर उत्पादों का कचरा जल निकासी मार्गों, ड्रेनेज, नालियों और नालों में भर गया। ये सभी कचरे चूंकि अपघटित नहीं होते इसलिये वर्षों ज्यों के त्यों नालियों में पड़े रहते हैं। इसके साथ ही नगरों, कस्बों, शहरों की भूमि को डामर, कंक्रीट, पत्थर, संगमरमर और पैबतस बिछा-बिछा कर जल को सोखने

वाली भूमि ही खत्म हो गई। इन हालातों में वर्षा जल जाये तो कहां जाये। जमीन के अंदर नहीं, सतह पर नहीं, बहने के मार्ग पर नहीं, तब वर्षा जल, अल्प वर्षा में ही इकट्ठा होकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा। इन्हीं परिस्थितियों में अतिवर्षा बाढ़ जैसी त्रासद आपदा बन जायेगी। यकीनन यह बाढ़ ऐसी ही है।

आप पानी के घर में तो पानी आपके घर में

लगभग 82 प्रतिशत वर्षा जल हमने बिना रोके बहने दिया। सच तो यह है कि यह जल ठीक से बह भी नहीं पाया और अवरुद्ध ड्रेनेज, अतिक्रमण और विवेकहीन बसाहट ने बाढ़ पैदा कर दी। अवरुद्ध जल की निकासी की माकूल व्यवस्था और पूर्व नियोजित रणनीति संकट को टाल सकती है। देखा जाता है कि नाले की ठीक छाती पर घर बने हैं, दुकानें सजी हैं। नदी के तटबंधों पर बांधों के जलभराव क्षेत्रों में कॉलोनियां आबाद हैं। स्वभाविक ही है जब बाढ़ के पानी का रेला आयेगा तो वह घरों, दुकानों और बस्तियों में भरेगा ही। "आप पानी के घर में तो पानी आपके घर में।"

एक हजार मि.मी. वर्षा से आ सकती है खुशहाली

बाढ़ से बचने या नियंत्रण की कोई योजना बनानी है तो उन सभी कारणों पर समग्र नजर और संतुलित नज़रिया रखना होगा। 1000 मि.मी. औसत वर्षा से देश में सुख, समृद्धि, हरियाली और खुशहाली आ सकती थी पर कुप्रबंधन से आपदायें भी आ सकती हैं। राष्ट्रीय जरूरतों के मद्देनजर हम बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा और बचाव हेतु कारगर तकनीक और रणनीति की तलाश में हैं।

जंगलों की वैध/अवैध कटाई से भी नये पर्यावरणीय संकट उपजे हैं। 33 प्रतिशत जंगल के स्थान पर केवल 20 प्रतिशत जंगल बचे हैं। इस त्वरित जंगल विनाश ने न केवल भूमि, बल्कि समूचे पर्यावरणीय परिदृश्य को बिगाड़ा है। खुली, नंगी, ऊसर, बंजर जमीनें तो बढ़ी हीं, साथ ही बढ़ा भू-क्षरण।

इस भू-क्षरण से ही सतही जल स्रोत, मिट्टी (सिल्ट) से पटते गये और उनकी जल भरण क्षमता घटती गई। अनगिनत तालाबों को समतल कर नगर आबाद हो गये या दूसरे व्यवसायिक उपयोग होने लगे। वर्षा जल जो तालाबों, नदियों, कुओं और झीलों में समा जाता था, मैदानों में फैलकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करने लगा।

सामान्य जन के लिये जरूरी है सामान्य जानकारियां

बाढ़ का सच भी अन्य सच्चाइयों जैसा ही कड़वा है। बचाव और राहत के प्रयास होते हैं, हो भी रहे हैं। आपदा प्रबंधन में अनुभव और प्रशासनिक तालमेल से हालात बेहतर और राहत प्रयास सटीक हो सकते हैं। नदियों पर बांध या अन्य बांधों के समीप इलाकों में भी बाढ़ के हादसे सामने आते हैं। पुराने बांधों के मामले में ध्यान देने योग्य है कि उनके निर्माणकाल से अब तक स्थितियां तेजी से बदली हैं।

भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने से, उनकी मरम्मत के अभाव में जर्जर होने से, जल दबाव न झेल पाने से अक्सर उनके शटर्स इमरजेंसी में खोलने पड़ते हैं। फलस्वरूप अनेक इलाके बाढ़ की गिरफ्त में आ जाते हैं।

अनेक स्थानों पर बाढ़ का कारण बांधों के शटर्स खोलना ही है। संवेदनशील क्षेत्रों में आमजनों को बाढ़ से बचाव विषयक सामान्य जानकारियां भी नहीं होतीं। लगातार वर्षा होने या वर्षा की प्रबल संभावना वाले क्षेत्रों में वर्तमान विकसित तकनीकों एवं प्रणालियों का विवेकपूर्ण उपयोग कारगर साबित हो सकता है। प्रशासनिक एवं आपदा प्रबंधन के स्तर पर इन सभी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना अहम है।

● **प्रो. कृपाशंकर तिवारी**
(लेखक पर्यावरण विशेषज्ञ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. के क्षेत्रीय निदेशक हैं)

बाढ़ नियंत्रण में सहयोगी बनी मनरेगा

ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति का उसके अनुरूप दोहन किया जाये तो वरदान अन्यथा अभिशाप बन जाती है। इसी तरह प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में अतिवृष्टि से आने वाली बाढ़ गंभीर समस्या बनती जा रही है। बाढ़ के कारण न केवल जान-माल को नुकसान पहुंचता है अपितु वर्षा का जल व्यर्थ चला जाता है। यदि बरसात के पानी को संरक्षित नहीं किया जाये तो यह बाढ़ के हालात पैदा करता है और यदि इसे संजोकर रखा जाये तो यही वरदान साबित होने लगता है।

मनरेगा से न केवल बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के इंतजाम अपितु बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ पर्यावरण एवं जल संरक्षण के कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा के प्रारंभ से लेकर बाढ़ नियंत्रण के लिए 6 हजार 344 कार्य पूरे कराये जा चुके हैं वहीं लगभग एक हजार कार्य प्रगतिरत हैं। मनरेगा से बाढ़ नियंत्रण के कामों के तहत मूल रूप से गहरीकरण एवं गाद निकालने, जल निकासी के लिए नाली निर्माण, जल निकासी के लिए परिवर्तित मार्ग, जल संरचनाओं के चारों और बंधान कार्य आदि प्रमुख रूप से कराये गये हैं। इन कार्यों से वर्षा में तेज बहाव को कम करने के साथ-साथ जल निकासी के सुलभ मार्ग तैयार किये गये हैं। जिससे वर्षा का जल जहां जरूरत है वहां संचित किया जा सके और शेष जल, जल मार्ग से बहकर जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि आवश्यक जल संरक्षण होने से आस-पास के क्षेत्र का जल स्तर बढ़ने के साथ-साथ सिंचाई का आवश्यक इंतजाम हुआ तथा बाढ़ जैसी समस्या पर अंकुश लगा। मनरेगा से हुए इन कामों पर लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जा चुके हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को काम मिलने के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण के आवश्यक इंतजाम हुए हैं।

इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण में सहयोग करने वाले भी काम मनरेगा से कराये जा रहे हैं जो पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण से संबंधित हैं। प्रदेश में मनरेगा से 10 लाख कार्य इसी प्रकृति के संपादित किए जा चुके हैं तथा लगभग 50 हजार से ज्यादा काम प्रगति पर हैं। इन कामों में वृक्षारोपण, भूमि सुधार, वीरान पहाड़ियों को हरा भरा करना तथा उन पहाड़ियों पर कंटूर ट्रेंच बनाकर प्रवाहित जल के वेग को कम करना एवं जल संरक्षित करना, स्टापडेम, कुओं का निर्माण आदि शामिल हैं।

मनरेगा से हुए इन कार्यों के कारण बहकर जाने वाले पानी को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है वहीं बाढ़ के कारण होने वाला मिट्टी का कटाव भी रुका है।

मनरेगा से प्रदेश में हुए बाढ़ नियंत्रण के कार्य

नंबर	कार्य श्रेणी का नाम	कार्य का प्रकार	कार्य संख्या	
			प्रगतिरत	पूर्ण
1	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	बायो ड्रेनेज	43	16
2	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	चौर नवीनीकरण	4	18
3	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	इंटरमीडियेट और लिंक नालियों का निर्माण	91	46
4	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण	67	125
5	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	क्रास बेण्ड	64	615
6	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	बाढ़ चैनलों का गहरीकरण और मरम्मत	119	143
7	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	गाद निकालना	65	3258
8	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	डायवर्सन चैनल	58	111
9	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	डायवर्सन वेयर	115	273
10	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	जल भराव क्षेत्रों में जल निकासी	228	206
11	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	अन्य कार्य	15	864
12	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	पेरीफेरल बंडिंग	12	16
13	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का पुनर्रुद्धार	0	0
14	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	स्पर्स और टोरेंट नियंत्रण के उपाय	7	10
15	बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा	तटबंध का सुदृढ़ीकरण	40	643
			928	6344

● **प्रीति नीखरा**
(लेखिका स्तंभकार हैं।)

प्राकृतिक प्रकोपों से हुई क्षति के लिए आर्थिक सहायता में हुई वृद्धि

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षति होने पर राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य शासन द्वारा लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
(राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4)

विषयः- प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिये आर्थिक सहायता।

प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अतिवृष्टि, ओला, असमयवृष्टि (बेमौसम वर्षा), पाला, शीतलहर, कीट-इल्ली, टिड्डी आदि, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल की नुकसानी तथा जनहानि और पशुहानि होती है। अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है और व्यक्तियों तथा पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशुहानि भी होती है। कभी-कभी दुकानों में आग लग जाने से छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघरबार भी हो जाते हैं, साथ ही अफलन से फसल हानि होने से कृषकों को अप्रत्याशित क्षति उठानी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ितों को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिये उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें।

2. पूर्व में राज्य शासन द्वारा अलग-अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश दिये गये हैं तथा मानदण्ड निर्धारित किये हैं, फिर भी विगत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से हुई व्यापक हानि के संदर्भ में यह अनुभव किया गया कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मानदण्डों के बारे में पुनः समग्र रूप से विचार किया जाकर उनमें संशोधन करना आवश्यक है। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित कृषक, भूमिहीन व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो क्षति होती है, उसके संदर्भ में शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जिससे युक्तियुक्त समय में समुचित आर्थिक सहायता उन्हें उपलब्ध हो सके।

3. शासन की ओर से इस परिपत्र के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता के मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, उनका उद्देश्य पीड़ितों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति मुआवजे के रूप में करना, किन्तु यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो परिवार क्षतिग्रस्त होकर बेघरबार एवं बेरोजगार हो गये हैं, तात्कालिक सहायता की राशि इतनी हो कि उन्हें पर्याप्त राहत मिल सके।

4. जब कभी प्राकृतिक प्रकोपों से कोई हानि हो तब पटवारी, पटेल एवं कोटवार का, जो कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी है, यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे क्षेत्र के राजस्व अधिकारी यथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को इस बात की तत्काल सूचना दें तथा ये अधिकारी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिले के कलेक्टर एवं संभाग के संभागायुक्त को आवश्यक प्रतिवेदन तत्काल दें। इसी के साथ तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी का भी यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि प्रभावित क्षेत्र में मौके पर तत्काल पहुंचकर, क्षति का आकलन करने के साथ-साथ तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठावें। यदि क्षति हुई है तो शासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की वे तत्काल कार्यवाही करें, तथा स्थानीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं से जन सहयोग के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता को भी तत्काल पीड़ितों को उपलब्ध कराएं।

5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय में प्ररूप-एक में पंजी संधारित करेंगे जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

6. यदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति केवल किसी कृषक विशेष या व्यक्ति विशेष को ही हुई है तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित संलग्न प्ररूप-दो में तहसीलदार को आवेदन दे सकेंगे। तहसीलदार आवेदन के तथ्यों की पूर्ण जांच कर, दी जाने वाली सहायता की पात्रता सुनिश्चित करेंगे। व्यापक स्वरूप की आपदा के मामलों में प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन देना अनिवार्य नही होगा बल्कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार किये जायेंगे। प्रभावितों को प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में दी गई समयावधि अनुसार देय होगी।

7. जिन मामलों में प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि के कारण पीड़ित परिवार को पुनर्स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है उनमें संबंधित पीड़ित व्यक्ति को संलग्न प्ररूप-तीन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा।

8. इस परिपत्र के परिशिष्ट-1 के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

9. प्रत्येक मामले में विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के लिए वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :-

1	संभागायुक्त	पाँच लाख रुपये से अधिक
2	कलेक्टर	पाँच लाख रुपये तक
3	उपखण्ड अधिकारी	एक लाख रुपये तक
4	तहसीलदार	पचास हजार रुपये तक
इसी प्रकार पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :-		
1	संभागायुक्त	एक लाख रुपये से अधिक
2	कलेक्टर	एक लाख रुपये तक
3	उपखण्ड अधिकारी	बीस हजार रुपये तक

10. इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए 'राजस्व अधिकारी' से आशय किसी ऐसे संभागायुक्त, कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से है जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र में हो जहां प्राकृतिक प्रकोप से क्षति हुई हो।

11. अग्नि दुर्घटनाओं के मामलों में आग बुझाने में फायर बिग्रेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, सूखा शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 0096-अग्नि पीड़ितों को राहत आयोजनेत्तर से की जायेगी।

12. बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के कलेक्टर मांग संख्या 58 के मुख्य शीर्ष 2245 से कर सकेंगे।

13. इस परिपत्र के अंतर्गत दी जाने वाली समस्त प्रकार की सहायता अनुदान की राशि मांग संख्या 58 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत की मद में विकलनीय होगी।

14. राजस्व अधिकारियों को प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि का आकलन करने एवं पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही में जनप्रतिनिधियों को अधिक से अधिक विश्वास में लेना चाहिए तथा उनका भरपूर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। नैसर्गिक आपदा के पश्चात् यदि किसी क्षेत्र में सर्वे कार्य नहीं हो पाया है या आर्थिक अनुदान सहायता का प्रकरण तैयार नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में फसल हानि होने पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच के साथ ग्राम के चार अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा फसल हानि का आकलन कर पंचनामा तैयार किया जायेगा और ऐसा पंचनामा प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारी शीघ्र ही स्थल निरीक्षण कर इसकी पुष्टि करते हुए हानि के आकलन के मामले का निराकरण करेंगे।

15. प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का संयुक्त दल गठन कर सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए। सर्वेक्षण दल खेत दर खेत जाकर प्रभावित कृषकों के खेतों में लगी फसल को हुई क्षति का आकलन करेगा। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रभावित कृषकों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा सभी ग्रामवासियों को सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्रामवासियों के दावे आपत्ति, यदि कोई हो तो प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त सभी दावे आपत्तियों का निराकरण सर्वे दल द्वारा किया जाकर सूची को ग्राम पंचायतों से सत्यापित कराकर राहत राशि स्वीकृत करने के लिए प्रेषित किया जाएगा।

16. इस परिपत्र के अंतर्गत देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों, चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हों या वन ग्रामों के निवासी हों, देय होगी। वन ग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से करेगा।

वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों की फसल प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर भी संयुक्त सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें वन विभाग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों

की फसलें प्राकृतिक आपदा से क्षति होने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर फसल हानि का पंचनामा तैयार करेगा। जिस पर वन विभाग के बीटगार्ड या परिक्षेत्र सहायक जो भी उपलब्ध हो, से इस बाबत् प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा कि फसल हानि प्राकृतिक आपदा से ही हुई है। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मानदण्ड अनुसार राहत राशि स्वीकृत की जाएगी।

17. यह संभव है कि प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिये या राहत देने के लिये किसी स्थिति का इस परिपत्र में समावेश न हुआ हो, ऐसा होने पर कलेक्टर तुरन्त शासन से सिफारिश करते हुए योग्य आदेश प्राप्त करेंगे।

18. इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से पूर्व में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जारी किये गये सभी निर्देश निरस्त माने जायेंगे।

(के.के. सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 का परिशिष्ट-1

विषय :- प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिये शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि और उसके लिये निर्धारित मानदण्ड।

(एक) फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता -

(क) फलदार पेड़ उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें, तथा पान बरेजे को छोड़कर सभी उगाई जाने वाली फसलें जिसके अंतर्गत सब्जी की खेती, मसाले, ईसबगोल, तरबूजे, खरबूजे की खेती (डंगरवाड़ी) भी सम्मिलित है, चाहे वह खेतों या नदी के किनारे हों, की हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निम्नानुसार मानदण्ड होंगे -

अ.क्र.	कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/ कृषक की श्रेणी	25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि	33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4
1	लघु एवं सीमांत कृषक- 0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/ खातेदार को	1. वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) प्रति हेक्टेयर 2. सिंचित फसल के लिए रुपये 9000/- (रुपये नौ हजार) प्रति हेक्टेयर 3. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 9000/- (रुपये नौ हजार) प्रति हेक्टेयर 4. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/ प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) प्रति हेक्टेयर 5. सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रुपये 18000/- (रुपये अठाहर हजार) प्रति हेक्टेयर 6. निरंक	1. वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 8000/- (रुपये आठ हजार) प्रति हेक्टेयर 2. सिंचित फसल के लिए रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) प्रति हेक्टेयर 3. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 18000/- (रुपये अठारह हजार) प्रति हेक्टेयर 4. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 20000/- (रुपये बीस हजार) प्रति हेक्टेयर 5. सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रुपये 26000/- (रुपये छब्बीस हजार) प्रति हेक्टेयर 6. सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) फसल के लिए रुपये 6000/- (रुपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर तथा मूंगा के लिए रुपये 7500/- (रुपये सात हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर

2.	लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक-2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/ खातेदार को	1. वर्षा आधारित फसल के लिए रुपये 4500/- (रुपये चार हजार पाँच सौ) प्रति हेक्टेयर 2. सिंचित फसल के लिए रुपये 6500/- (रुपये छः हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर 3. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/ रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 6500/- (रुपये छः हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर 4. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6. माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/ प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 12000/-(रुपये बारह हजार) प्रति हेक्टेयर 5. सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रुपये 14000/- (रुपये चौदह हजार) प्रति हेक्टेयर	1. वर्षा आधारित फसल के लिये रुपये 6800/- (रुपये छः हजार आठ सौ) प्रति हेक्टेयर 2. सिंचित फसल के लिए रुपये 13,500/- (रुपये तेरह हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर 3. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से कम अवधि में क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 18000/- (रुपये अट्ठारह हजार) प्रति हेक्टेयर 4. बारामाही (पेरीनियल) (बोवाई/रोपाई से 6 माह से अधिक अवधि के बाद क्षतिग्रस्त/प्रभावित होने पर) फसल के लिए रुपये 18000/- (रुपये अट्ठारह हजार) प्रति हेक्टेयर 5. सब्जी, मसाले तथा ईसबगोल की खेती के लिये रुपये 18000/- (रुपये अट्ठारह हजार) प्रति हेक्टेयर

(ख) फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें तथा पान बरेजे आदि की हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता के लिए निम्नानुसार मानदण्ड होंगे :-

अ.क्र.	**विवरण**	**25 से 33 प्रतिशत फसल क्षता होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि**	**33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि**
1	**2**	**3**	**4**
1	फलदार पेड़ या उन पर लगी फसलें (क्रमांक 3 में उल्लेखित बगीचे/ फसलें छोड़कर)	रुपये 400/- (रुपये चार सौ) प्रति पेड़	रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) प्रति पेड़
2	संतरा एवं अनार की फसल	रुपये 400/- (रुपये चार सौ) प्रति पेड़	रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) प्रति पेड़
3	नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर आदि की फसलें	रुपये 7500/- (रुपये सात हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर	रुपये 13500/- (रुपये तेरह हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर
4	पान बरेजे आदि की हानि के लिए	रुपये 20000/- (रुपये बीस हजार) प्रति हेक्टेयर या रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) प्रति पारी	रुपये 30000/- (रुपये तीस हजार) प्रति हेक्टेयर या रुपये 750/- (रुपये सात सौ पचास) प्रति पारी

(1) फसल हानि के मामले में इस परिपत्र में उल्लेखित आपदाओं में से किसी भी आपदा से खातेदार को क्षतिग्रस्त/प्रभावित रकबे में हुई क्षति के आकलन के आधार पर मानदण्ड अनुसार राहत राशि की संगणना कर सहायता दी जायेगी।

स्पष्टीकरण - फसल हानि के मामले में दी जाने वाली सहायता के लिए परिशिष्ट-1 के पद-(एक) (क) में दर्शायी गई दर के निर्धारण के लिए यह देखा जायेगा कि प्रभावित खातेदार लघु/सीमांत कृषक है अथवा लघु/सीमांत कृषक से भिन्न कृषक है और इस प्रकार कृषक/खातेदार की श्रेणी निर्धारित कर देय सहायता के लिए लागू दर तय की जायेगी।

उदाहरणार्थ - (क) यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी में कुल एक हेक्टेयर रकबा बोया है और बोये गये समस्त रकबे में प्राकृतिक आपदा से 60 प्रतिशत की सीमा तक फसल हानि हुई है तो फसल हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जावेगा और तद्नुसार कृषक/खातेदार की श्रेणी के लिये लागू दर के अनुसार 1 हेक्टेयर के लिये सहायता राशि की गणना की जावेगी।

(ख) यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी में कुल 4 हेक्टेयर रकबा बोया है और उसमें से केवल 2 हेक्टेयर रकबे में फसल हानि हुई है और वह फसल हानि 60 प्रतिशत की सीमा तक हुई है तो 2 हेक्टेयर में हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जावेगा और तद्नुसार कृषक/खातेदार

की श्रेणी के लिये लागू दर के अनुसार 2 हेक्टेयर के लिये सहायता राशि की गणना की जावेगी।

(2) उपर्युक्तानुसार देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी, किन्तु एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में देय राशि रुपये 2000/- (रुपये दो हजार) से कम नही होगी।

(3) फसल हानि के लिए या फलदार पेड़, उन पर लगी फसलें, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें या पान बरेजे आदि की हानि होने पर ऊपर वर्णित मानदण्ड के अनुसार संगणित आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जायेगी, किन्तु किसी भी खातेदार को ऐसी आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा रुपये 60,000/- (रुपये साठ हजार) से अधिक नहीं होगी।

(4) कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात् खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो खेती कर रहा है, उसे अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(5) संयुक्त खाते के मामले में आर्थिक अनुदान सहायता राशि की संगणना करने के लिए ऐसे संयुक्त खाते के कल्पित विभाजन के आधार पर अंशधारी खातेदार को पृथक खातेदार मान्य करते हुए गणना की जायेगी।

(6) सेवाभूमि के मामले में सेवाभूमि धारक को और देवस्थानी भूमि के मामले में भूमिस्वामी देवस्थान या उसके द्वारा धारित भूमि के वास्तविक कृषक या वैधानिक पट्टेदार जैसी स्थिति हो, को आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(7) पान बरेजे की खेती के मामले में एक पारी से तात्पर्य है खेती में प्रयुक्त 250 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.025 हेक्टेयर भूमि।

(8) खलिहान में रखी या खेत में पड़ी फसल को, ऐसे किसी प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति होती है या आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिये आर्थिक अनुदान सहायता का मानदण्ड उपर्युक्तानुसार ही रहेगा।

(8-क) विद्युत स्पार्क से हुई फसल क्षति को भी प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के समान आर्थिक सहायता दी जावेगी।

(9) फसल हानि के लिये आर्थिक अनुदान सहायता प्राप्त करने की पात्रता केवल कृषक/खातेदार को ही होगी। कुछ मामलो में भूमिहीन कृषक मजदूर (चेतुआ मजदूर भी) जिन्हें मजदूरी के रूप में अनाज प्राप्त होता है और यदि अनाज आग लगने से नष्ट हो जाता है और प्रत्येक मामले में कलेक्टर पूर्ण जांच करके संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक अनुदान सहायता दे सकेंगे। ऐसे मामलों में अधिकतम आर्थिक अनुदान सहायता प्रति परिवार रुपये 2500.00 (रुपये दो हजार पांच सौ) दिया जा सकेगा। जो अनाज जलकर नष्ट हुआ है उसकी मात्रा को ध्यान में रखकर कलेक्टर स्वविवेक से इस अधिकतम सीमा के भीतर आर्थिक अनुदान सहायता की राशि स्वीकृत कर सकेंगे। आकलन में यह भी देखा जायेगा कि चेतुआ मजदूरों का अनाज खुले में रखे कुल अनाज (फसल) का 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

(10) ऐसे कृषक जिनकी फसल प्राकृतिक प्रकोप से 33 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण इस परिपत्र के प्रावधानों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी गयी है तथा ऐसे कृषक द्वारा किसी सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक से आगामी खरीफ/रबी की फसल के लिए अल्पकालीन फसल ऋण लिया जाता है तो ऐसे ऋणगृहीता द्वारा लिए गये ऋण पर देय ब्याज में आदान-अनुदान (इनपुट सब्सिडी) दी जायेगी। आदान अनुदान की संगणना इस प्रकार की जायेगी की ऋणगृहीता को अधिकतम मूल राशि रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) तक ऋण लेने पर 3 प्रतिशत और अधिकतम मूल राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक ऋण लेने पर 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़े, ब्याज के अन्तर की राशि आदान-अनुदान के रूप में स्वीकृत कर दी जायेगी। यह आदान अनुदान ऋण लेने की दिनांक से अदायगी की दिनांक तक अथवा अल्पकालीन ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने के दिनांक तक अथवा अधिकतम 8 माह, जो भी कम हो, की अवधि के लिए दिया जायेगा। अदायगी की दिनांक तक अथवा अल्पकालीन ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने के दिनांक तक अथवा अधिकतम 8 माह, जो भी कम हो, की अवधि में ऋण की अदायगी न करने पर अवधि उपरान्त देय ब्याज के लिए ऋणगृहीता दायित्वाधीन होगा।

कलेक्टर देय ब्याज आदान-अनुदान की राशि प्रभावित कृषकों के खाते में जमा करने के लिए संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक के माध्यम से दावा प्रस्तुत होने पर ऋणदाता बैंक को उपलब्ध कराएगा जो सीधे प्रभावित कृषक के खाते में जमा की जायेगी।

आदान-अनुदान की राशि मांग संख्या 58 शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अंतर्गत विकलनीय होगी।

(11) फसलों पर कीट प्रकोप जिसमें टिड्डा, इल्ली के साथ-साथ गेरूआ आदि रोग एवं चूहा/गिलहरी से क्षति सम्मिलित है, से फसल प्रभावित होने पर कृषि विभाग की अनुशंसा पर पीडित कृषकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के प्रावधान अनुसार सहायता देय होगी।

(11-क) राजस्व एवं वन ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने की सूचना अथवा प्रभावित व्यक्ति का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर फसल हानि का पंचनामा तैयार करेगा, जिस पर वन विभाग के बीट गार्ड अथवा परिक्षेत्र सहायक, जो भी उपलब्ध हो, से इस बाबत् प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा कि फसल हानि वन्य प्राणियों द्वारा की गई है। स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा परिपत्र के मानदंड अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

(12) लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए - 1. बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत/पत्थर (3 इंच से अधिक) आ जाने पर, 2. पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबे को हटाने के लिए 3. फिश फार्म में डिसेल्टिंग/पुनर्स्थापन/मरम्मत/सफाई के लिए प्रति हेक्टर अधिकतम रुपये 12,200/- (रुपये बारह हजार दो सौ) की राशि प्रत्येक मामले के लिए देय होगी। यह सहायता ऐसे कृषकों को देय होगी जिन्हें शासन की

अन्य योजनाओं से कोई सहायता प्राप्त न हुई हो।

(12-क) भूस्खलन, हिमस्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु कृषक के भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर ऐसे प्रभावित कृषक को रुपये 37,500/-(रुपये सैंतीस हजार पांच सौ) प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि देय होगी।

(13) अतिक्रमण कर खेती करने वालों के मामले में ऐसे कृषकों को, जिनके द्वारा अतिक्रमण के रकबे को जोड़कर जो लघु एवं सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अतिक्रमित भूमि की फसल में हुई हानि के लिए भी सहायता अनुदान राशि दी जाएगी।

(14) फसल में अफलन से अभिप्रेत है फसल में फली का न बनना और फली में सम्मिलित होगा बाली, भुट्टा आदि।

(15) अफलन के मामलों में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व तथा अनुविभागीय अधिकारी कृषि संयुक्त निरीक्षण करेंगे। संयुक्त निरीक्षण प्रत्येक प्रकरण में फसल कटाई के पर्याप्त समय पूर्व किया जावेगा तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रभावित कृषि जिन्स में बुवाई के बाद सामान्यतः कितनी अवधि में फली आती है। पंचनामा स्थल पर तैयार किया जायेगा।

(16) पंचनामें के आधार पर यह पाये जाने पर कि पौधों में उपरोक्त नोट क्रमांक (14) अनुसार फली नहीं आयी है, सक्षम अधिकारी द्वारा सहायता राशि मंजूर की जा सकेगी।

(दो) पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता-

चाहे वह खातेदार हो अथवा भूमिहीन हो सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से जिसमें आग लगने के कारण जलने से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि भी सम्मिलित हैं, के लिये निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि देय होगी:-

(क) पशु हानि के लिए -

(राशि रूपये में प्रति पशु अधिकतम)

1. दुधारु पशु -	
(क) भैंस/गाय/ऊंट/याक/मिथुन आदि	30,000/- (रुपये तीस हजार)
(ख) भेड़/बकरी	3,000/- (रुपये तीन हजार)
2. गैर दुधारु पशु-	
(क) बैल/भैंसा/ऊंट/घोड़ा आदि	25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)
(ख) बछड़ा (गाय/भैंस)/गधा/पोनी/खच्चर	16,000/- (रुपये सोलह हजार)
(ग) बच्चा-घोड़ा/ऊंट	10,000/- (रुपये दस हजार)
3. सूअर	3,000/- (रुपये तीन हजार)
4. बच्चा- सूअर, भेड़, बकरी, गधा,	250/- (रुपये दो सौ पचास)

सहायता राशि वास्तविक क्षति के आकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(दो-क) अस्थाई पशु शिविर -

प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित पशुओं के लिये कलेक्टर अस्थाई पशु शिविर स्वीकृत कर सकेंगे, जिसकी अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी। ऐसे शिविरों में रखे गये बड़े पशु के लिये रुपये 70/- (रुपये सत्तर) प्रति दिवस प्रति पशु तथा छोटे पशु के लिये रुपये 35/- (रुपये पैंतीस) प्रति दिवस प्रति पशु व्यय किया जा सकेगा।

विशेष परिस्थितियों में संभागायुक्त के प्रस्ताव पर राज्य शासन की अनुमति से 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए अस्थायी कैम्प चलाये जा सकेंगे।

पशु शिविरों में जल आपूर्ति, दवाईयों तथा टीकों की अतिरिक्त लागत तथा पशु शिविरों से बाहर चारे की आपूर्ति राज्य कार्यपालिक समिति के मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक लागत के बराबर व्यय किया जा सकेगा तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

(ख) पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए-

(राशि रुपये में प्रति पक्षी)

1. मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के)	60/- (रुपये साठ)
2. चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के)	20/- (रुपये बीस)

(1) उपरोक्तानुसार अनुदान सहायता सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए देय होगी। इसमें आग के कारण जलने से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि सम्मिलित मानी जाए।

(2) एक से अधिक पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि की स्थिति में प्रत्येक पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि का उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदण्ड के

आधार पर प्रभावित व्यक्ति को सहायता मिलेगी।

(3) प्राकृतिक प्रकोप या उनसे उत्पन्न घास, भूसे या पानी की कमी के कारण पशु मृत्यु हुई है तो इस परिपत्र के अंतर्गत ऐसी पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, किन्तु ऐसे मामले में कलेक्टर पूर्ण जांच कर पशुपालन विभाग से परामर्श कर तथा स्वयं के समाधान के बाद प्रमाणित करेंगे।

(तीन) नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता-

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी :-

क्रमांक	विवरण		मकान क्षति के मामलों में दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि
1	2	3	4
1.	पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं)	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 95100/- (रुपये पिन्चानबे हजार एक सौ) और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम रुपये 1,01,900/- (रुपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान।
		कच्चा मकान	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 95100/- (रुपये पिन्चानबे हजार एक सौ) प्रति मकान और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम रुपये 1,01,900/- (रुपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान।
		झुग्गी/झोपड़ी (झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस/मिट्टी/प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 6000/- (रुपये छः हजार)
2.	गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 50 प्रतिशत	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 95100/- (रुपये पिन्चानबे हजार एक सौ) प्रति मकान और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लॉन (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम रुपये 1,01,900/- (रुपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान।
		कच्चा मकान	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 95,100/- (रुपये पिन्चानबे हजार एक सौ) प्रति मकान और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आई.ए.पी.) जिलों में अधिकतम रुपये 1,01,900/- (रुपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति मकान।
		झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस/मिट्टी/प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 2000/- (रुपये दो हजार)
3.	आंशिक क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो)	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 5,200/- (रुपये पांच हजार दो सौ) प्रति मकान।
		कच्चा मकान	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 3,200/- (रुपये तीन हजार दो सौ) प्रति मकान
		झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस/मिट्टी/प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 1000/- (रुपये एक हजार)
4.	पशु घर	मकान से संलग्न पशु घर के लिये	वास्तविक आकलन के अधार पर अधिकतम रुपये 2100/- (रुपये दो हजार एक सौ) प्रति पशुघर

(1) पक्के मकान से तात्पर्य यह है कि जिसकी दीवालें और छत स्थायी स्वरूप की हों अर्थात् जो जी.आई. मेटल, एस्वस्टस शीट, पकी ईंट, पत्थर या कांक्रीट, पके हुए खपरे आदि से बना हो।

(2) कच्चे मकान से तात्पर्य है, जिसकी दीवालें और छत अस्थायी स्वरूप की हों अर्थात् घास, बांस, प्लास्टिक शीट, लकड़ी, बिना पकी ईंट, कच्ची मिट्टी आदि से बना हो।

(3) झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस/मिट्टी/प्लास्टिक शीट आदि से निर्मित घर जो अधिकतम 150 वर्गफुट का आवासीय निर्माण हो।

(4) कोई मकान पक्का, कच्चा अथवा झोपड़ी है का निर्णय आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त किया जायेगा।

(5) एक ही बड़े मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा ऐसे परिवारों के मुखिया के पास पृथक राशनकार्ड है तथा वह बड़े मकान में अपने अंश के मकान का स्वयं (पृथक से) रख-रखाव भी करता रहा है और मकान में अपने अंश के लिए ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को देयकर/उपकर आदि का पृथक से भुगतान भी करता है तो बड़े मकान के ऐसे अंश को पृथक इकाई मानते हुए वास्तविक क्षति का आकलन कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सहायता राशि वितरण की कार्रवाई की जाए।

(6) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सहायता राशि केवल आवासीय मकान एवं संलग्न पशुघर के लिए देय होगी, बाड़ी अथवा अन्य किसी निर्माण के लिए नहीं।

(7) उन मामलों में जिनमें प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, प्रभावित परिवार को मकान क्षति के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के अतिरिक्त प्रति परिवार के मान से तात्कालिक सहायता के रूप में 200 वर्ग फीट एल.डी.पी. शीट (प्लास्टिक शीट) अथवा/के लिए राशि रुपये 300.00 (रुपये तीन सौ) दी जाए।

(8) विधि विरुद्ध निर्मित की गई झुग्गी/झोपड़ी के नष्ट/क्षतिग्रस्त होने पर उपर्युक्त मानदण्ड अनुसार सहायता राशि देय होगी। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि विधि विरुद्ध की जो झुग्गी/झोपड़ी बनी है और किसी नैसर्गिक आपदा से नष्ट/क्षतिग्रस्त होने के कारण आर्थिक अनुदान सहायता दी जाती है तो उन्हें पुनः उसी स्थान पर झुग्गी/झोपड़ी का निर्माण नहीं करने दिया जाए, ऐसे प्रभावितों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए।

(चार) कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायता -

(1) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपड़ों एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) की आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। यह सहायता राशि मकान को हुई क्षति के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

(2) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपडे एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से 50 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जायेगा। यह सहायता एक आपदा के प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

(पांच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान -

(1) नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रुपये 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) प्रति व्यक्ति की सहायता दी जाएगी।

(2) सर्प, गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्डे में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की सहायता दी जाएगी।

"(2-क) पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की सहायता दी जाएगी।"

(3) जनहानि के मामलों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और जहां संभव हो डॉक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाएगा। मृत्यु होना पाए जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

परन्तु सर्प, गुहेरा या अन्य जहरीले जन्तु के काटने से मृत्यु के मामले में अनुदान स्वीकृत करते समय सक्षम अधिकारी मृत्यु के संबंध में तैयार किये गये पंचनामें, पटवारी प्रतिवेदन, पुलिस थाने में कायम मर्ग रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु जहरीले जन्तु के काटने से हुई है संबंधी निष्कर्ष निकाल सकेगा। आवेदन मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि शव परीक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे

प्रकरणों में बिसरा रिपोर्ट प्राप्त करने की अपेक्षा भी नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और भी कि यदि प्रकरण के परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे हों जिनमें यह प्रतीत हो कि मृत्यु जहरीले जन्तु के काटने से भिन्न किन्हीं कारणों से हुई है, तो ऐसे आवेदनों को विस्तृत कारण अभिलिखित करते हुए अमान्य किया जा सकेगा।

(4) "मृत व्यक्ति" में बच्चा भी शामिल समझा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा।

(5) मृत्यु के मामलों में दी जाने वाली यह आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रभावित परिवार को प्राप्त होने वाली अन्य सहायता या बीमा राशि के अतिरिक्त होगी।

(छः) (1) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता -

(क) नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण सरकारी चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल में के चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर जहां 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता के लिए रुपये 59,100/-(रुपये उनसठ हजार एक सौ मात्र) प्रति व्यक्ति एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) प्रति व्यक्ति की अनुदान सहायता दी जाएगी।

(ख) नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि हुई है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए सक्षम अधिकारी अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे।

(2) गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहे -

नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर फ्रेक्चर जैसी गंभीर शारीरिक क्षति होने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में कलेक्टर, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रुपये 12,700/- (रुपये बारह हजार सात सौ) तक तथा एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में कलेक्टर, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रुपये 4,300/-(रुपये चार हजार तीन सौ) प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता स्वीकृत करेंगे।

(सात) - लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता -

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के ऐसे मामलों में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार स्थानीय निकाय यथास्थिति- ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार सम्पन्न किए गये अंतिम संस्कारों के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपगत किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति जनहानि रुपये 2000/- (रुपये दो हजार) के मान से तहसीलदार की स्वीकृति से यथास्थिति स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत को की जा सकेगी।

(आठ) - मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था -

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई पशुहानि के मामलों में मृत पशुओं का त्वरित निवर्तन कराने के लिए शासकीय अमले का उपयोग किया जाये। मृत पशुओं के निवर्तन के लिए उपगत किए जाने वाले व्यय के लिए प्रति पशु रुपये 100.00 (रुपये एक सौ) की दर से या वास्तविक व्यय, इनमें से जो कम हो के मान से तहसीलदार की स्वीकृति से व्यय किया जा सकेगा।

(नौ) - कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता -

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण कुम्हारों के भट्टे में ईंट तथा खपरों के अलावा अन्य मिट्टी के बर्तन बरबाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार मात्र) तक सहायता अनुदान का भुगतान, हुई क्षति की मात्रा के अनुसार किया जाएगा।

(नौ-क) - बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता -

(1) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार क्षतिग्रस्त होने पर प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम रुपये 4100/-(रुपये चार हजार एक सौ) तक की सहायता दी जा सकेगी।

(2) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने के लिए प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम रुपये 4100/-(रुपये चार हजार एक सौ) तक की सहायता दी जा सकेगी।

(दस) - अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता -

(1) ऐसे छोटे दुकानदारों को, जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना में या अतिवर्षा/बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है और दुकानों का बीमा नहीं हो तथा दुकानदार के पास दुकान के नष्ट हो जाने से जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय रुपये 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार) से अधिक न हो, -

(क) अधिकतम रुपये 6,000/- (रुपये छः हजार) तक प्रति दुकानदार आर्थिक अनुदान सहायता दी जायेगी; और

(ख) रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) उपर्युक्त ऋण मांग संख्या 58-शीर्ष 6245- दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए कर्जे के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(ग्यारह) अस्थायी राहत कैम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था -

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी कैम्पों में रखा जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में अधिकतम सात दिनों तक अस्थायी कैम्प चलाने की स्वीकृति दे सकेंगे। इस प्रकार के अस्थायी कैम्पों को चलाने के लिए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन रुपये 60/- (रुपये साठ) प्रति वयस्क एवं रुपये 45/- (रुपये पैंतालीस) प्रति अवयस्क प्रतिदिन के मान से भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कैम्प के लिए की गई व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कलेक्टर अधिकृत रहेंगे।

संभागायुक्त अस्थायी कैम्प चलाने की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की अनुमति दे सकेंगे, किन्तु ऐसे अस्थायी कैम्प अधिकतम 15 दिवस तक चलाये जायेंगे।

विशेष परिस्थितियों में संभागायुक्त के प्रस्ताव पर स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति से 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए अस्थायी कैम्प चलाये जा सकेंगे।

(बारह) - बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता -

बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों व जिनका बीमा न कराया गया हो), डोंगियों, मछली पकड़ने के जालों तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा :-

1	नाव नष्ट होने पर	क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 12000/- (रुपये बारह हजार)
2	जाल या डोंगी नष्ट होने पर	क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 4000/- (रुपये चार हजार)
3	जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए	क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 2,100/- (रुपये दो हजार एक सौ)
4	नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिए	रुपये 4100/- (रुपये चार हजार एक सौ)

(बारह-क) - प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायता -

(1) नैसर्गिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली फार्म (फिश फार्म) क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए प्रभावित को रुपये 6,000/- (रुपये छः हजार) तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है।

(2) नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली पालने वालों को मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को रुपये 8,200/- (रुपये आठ हजार दो सौ) तक प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जाएगा, अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें मछली पालन विभाग की योजना के अंतर्गत एक बार दिये गये आदान-अनुदान (सब्सिडी) के अतिरिक्त सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है।

(तेरह) - कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता -

प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुआं या नलकूप यदि टूट-फूट या धंस जाता है तो उसके मालिक को हानि के आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 6000/- (रुपये छः हजार मात्र) तक सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

(चौदह) - बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता -

आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर वास्तविक आकलन के आधार पर अधिकतम रुपये 4000/- (रुपये चार हजार मात्र) तक अनुदान सहायता देय होगी।

प्ररूप-एक

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 कण्डिका 5 देखिये)

क्र.	व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम, निवास स्थान	उस ग्राम का नाम पटवारी हल्के का नाम, जहां नुकसानी हुई है	क्षति/नुकसानी किस प्रकार की हुई इसका पूरा विवरण दिया जाए	आवेदन या प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5

मौके की जांच की तारीख	कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की तारीख	शासन द्वारा निर्धारित/ सहायता के अंतर्गत की गई सहायता का विवरण एवं सहायता उपलब्ध कराने की दिनांक	जन सहयोग के रूप में उपलब्ध हुई सहायता एवं उसके वितरण का विवरण तथा दी गई सहायता की दिनांक	कैफियत (रिमार्क)
6	7	8	9	10

प्ररूप-दो

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 कण्डिका 6 देखिये)

1.	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम तथा पूर्ण पता
2.	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर-कृषक? यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा
3.	हानि का पूर्ण ब्यौरा- (एक) फसल हानि (दो) पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि (तीन) मकान की क्षति- (क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण विवरण- आकार, प्रयोजन एवं क्षति के विवरण) (चार) कपडा/बर्तन/खाद्यान्न की हानि (पांच) जनहानि (मृतक से आवेदक का संबंध) (छः) शारीरिक अंग हानि अन्य हानि - (जिसके लिए रा.पु.परिपत्र 6-4 में सहायता देय है)
4.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके?
5.	पूर्ण औचित्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका ब्यौरेवार विवरण
6.	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नहीं है?
7.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है, और क्या वह कोई शोधक्षम प्रतिभूमि देने के लिए तैयार है?
8.	कितना ऋण मांगा है? ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिए
9.	अन्य विवरण - प्रभावित व्यक्ति का बैंक खाता क्रमांक बैंक एवं शाखा के नाम सहित।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर आवेदक

नाम -

पता -

प्ररूप-तीन

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 कण्डिका-7 देखिये)

यह करारनामा आज दिनांक.....को प्रथम पक्ष राज्यपाल, मध्यप्रदेश (जो इसके आगे "राज्यपाल" कहलाएंगे और जिस अभिव्यक्ति में विषम या प्रसंग के विपरीत न होने पर, उनके पदानुवर्ती सम्मिलित होंगे) और द्वितीय पक्ष श्री .....पिता का नाम.....निवास स्थान.....तहसील ..... जिला ..... (जो इसके आगे "ऋण-गृहिता" कहलाएगा, जिस अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग के विपरित होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और स्वत्वार्पण-गृहिता सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है,

चूंकि ऋण-गृहिता ने.....के कारण आई आपदा के निवारण के हेतु ..... रुपये के ऋण के लिए राज्यपाल को आवेदन दिया है,

और चूंकि राज्यपाल निम्नलिखित अनुबंधों और प्रतिबंधों के अधीन ऋण देने के लिए सहमत हैं।

अतएव अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि -

(1) ऋण-गृहिता ..... रुपये (रुपये .....) की उक्त रकम का उपयोग ..... के प्रयोजन के लिए करेगा और उसका या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(2) ऋण-गृहिता.....रुपये की रकम, उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ..... रुपये की सात समान वार्षिक किश्तों में प्रतिवर्ष दिनांक ..... को या उसके पहले भुगतान करेगा, ऐसी पहली किश्त दिनांक ..... को देय होगी।

(3) उपर्युक्त ऋण के प्रतिमूल्य में ऋण-गृहिता इसके द्वारा ..... को इस अभिप्राय से कि ऐसी संपूर्ण संपत्ति राज्यपाल को देय ..... रुपये की उक्त रकम और उस पर लगने वाले ब्याज के चुकारे के लिए प्रतिभूति होगी, साधारण बंधक के द्वारा गिरवी रखता है और भारित करता है।

(4) प्रतिबंध (2) के अनुसार नियत दिनांक पर समान किश्तों का चुकारा न होने अथवा ऋण-गृहिता द्वारा इस करारनामे के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर, ऐसी त्रुटि या उल्लंघन के दिनांक को अवशिष्ट ऋण की सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित, तत्काल वसूली योग्य हो जाएगी।

(5) इस करारनामे के अंतर्गत ऋण-गृहिता से प्राप्त कोई भी रकम भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(6) इस लिखतम पर देय मुद्रा शुल्क का भुगतान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

इसकी साक्षी में इसके पक्षकारों ने, अपने हस्ताक्षर के सामने निर्दिष्ट दिनांक और वर्ष को इस करारनामे पर अपने हस्ताक्षर किए,

1.	राज्यपाल की ओर से
2.	दिनांक .....
1.	ऋण-गृहिता के हस्ताक्षर
2.	दिनांक .....

चूंकि राज्यपाल ने उक्त करारनामे के निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ऋण-गृहिता प्रतिभूति मांगी है;

अतएव उपर्युक्त रकम के दिये जाने के प्रतिमूल्य में और गृहिता के निवेदन पर मैं .....पिता का नाम..... निवास स्थान ..... तहसील ..... जिला ..... ऋण-गृहिता का प्रतिभू इसके द्वारा इसके लिए सहमत हूँ कि इस करारनामे के अंतर्गत ऋणगृहिता द्वारा देय कोई भी रकम मांगी जाने पर तथा उसके द्वारा दी जाने पर मैं उसका भुगतान करूंगा और इसके द्वारा, मैं, अपने आपको, अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों को ऐसे भुगतान के लिए आबद्ध करता हूँ, मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि इसके अंतर्गत मेरे द्वारा देय कोई भी रकम भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

आज दिनांक ..... को निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए,

1	.....
2	**प्रतिभू के हस्ताक्षर**

गाँधी जयंती से होगा मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट और नशीले मादक द्रव्यों की लत को रोकने और इन पदार्थों के दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 'मद्य निषेध सप्ताह' का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष मद्य निषेध सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल 462003
दूरभाष नं.-0755-2556916, फैक्स नं. 0755-2552665

क्रमांक/एफ-1-31/नशाबंदी/2016-17/223 **भोपाल, दिनांक 3.9.2016**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।

विषय - गांधी जयंती 'मद्य निषेध सप्ताह' (2 से 8 अक्टूबर 2016) का आयोजन करने बाबत्।

गाँधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2016 तक 'मद्य निषेध सप्ताह' का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की लत एवं नशीले मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुष्परिणामों से छात्र/छात्राओं एवं समाज को अवगत कराना है, ताकि मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु वातावरण एवं चेतना निर्माण हो सके। इस अवसर पर वृहद जनजागृति कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाकर, जिला से ग्राम पंचायत स्तर तक इस दिवस का आयोजन कर, शहरी/ग्रामीण जनता को मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन की बुराईयों से अवगत कराया जावें, ताकि वे नशा सेवन करना छोड़ सके तथा अपने क्षेत्रों में नशाबंदी के पक्ष में वातावरण निर्मित कर सके।

2. इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करें, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो सके। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएँ एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएँ आयोजित कर जन-जन को नशामुक्ति हेतु प्रेरित किया जावे।

3. प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन गृह विभाग के पत्र क्र./डी 4218/आर-4351/2011/दो/सी-1 दिनांक 20 सितम्बर 2011 से किया गया है। इस समिति की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों का निर्धारण कर आयोजन कराया जावे।

4. मद्य निषेध सप्ताह के आयोजन में निम्न कार्यक्रमों को किया जा सकता है :-

(i) मद्य निषेध की प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना।

(ii) मद्य निषेध/नशाबंदी से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित करना।

(iii) मद्य निषेध सप्ताह के दौरान समस्त उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, के सहयोग से कार्यक्रम जैसे - प्रभात फेरी, शराब से होने वाली हानियों पर वाद विवाद, भाषण, चित्रकला, नारे एवं निबंध प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ तथा सेमीनार का आयोजन करना।

(iv) जिले में शासकीय कलापथक दल एवं अशासकीय कलामंडलियों के माध्यम से मद्यनिषेध/नशाबंदी से संबंधित नाटकों का प्रदर्शन करना।

(v) विभागीय मान्यता प्राप्त/अनुदान प्राप्त संस्थाएं नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको भी भागीदारी करने हेतु उन्हें लिखें तथा जो संस्थाएं भागीदारी करें उनकी जानकारी प्रपत्र में दी जावे।

(iv) जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केन्द्र, पंचायतीराज संस्थाएं, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम से जोड़ा जावे।

अतः आपके जिले में उक्त अनुसार मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन कर, शराब एवं मादक द्रव्य/पदार्शों से होने वाली हानियों से जन सामान्य को अवगत कराकर नशाबंदी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। मद्य निषेध सप्ताह आयोजन अंतर्गत उपरांत प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 15.10.2016 तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न - प्रपत्र

(अजीत कुमार)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन, कल्याण, मध्यप्रदेश

मद्य निषेध सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2016 का आयोजन की जानकारी

प्रपत्र

जिले का नाम .....

क्रमांक	आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रम संख्या	भागीदार व्यक्तियों की संख्या	किन संस्थाओं ने भाग लिया	रिमार्क
1	**2** **3**	**4**	**5**	**6**
1.	मद्यनिषेध प्रतिज्ञा एवं शपथ पत्र भरवाना			
2.	नशामुक्ति सेमीनार			
3.	रैली			
4.	नशाबंदी प्रदर्शनी			
5.	विभिन्न प्रतियोगिताएँ			
6.	कलापथक दलों के कार्यक्रम			
7.	नशामुक्ति कैम्प			
8.	पम्पलेट/साहित्य वितरण			
9.	अन्य			

संक्षिप्त टीप -

(अधिकारी का नाम)
संयुक्त/उप संचालक
सामाजिक न्याय

जिला पंचायतें राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदाय राशि की जानकारी कराएं उपलब्ध

पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए राशि प्रदाय कराई जाती है। जिला पंचायतें प्रदाय राशि में से राशि जो अव्यतीत है उसकी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध करायें। इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax - 0755-2552899)
(E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./जी-424/2016/10090 **भोपाल, दिनांक 27.08.2016**

प्रति,
कलेक्टर,
जिला - समस्त म.प्र.।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - समस्त म.प्र.।

विषय :- पंचायत राज से प्रदाय राशि की जानकारी।

विषयान्तर्गत लेख है की जिला पंचायतों में विगत वर्षों से 10वां वित्त एवं 11वां वित्त की राशि अव्ययीत (UNSPENT) है तथा स्टाम्प शुल्क मद से पचांयत भवन निर्माण एवं ई-पंचायत कक्ष हेतु भी जिला पंचायत को राशि/आवंटन प्रदाय किया गया था साथ ही अन्य योजनाओं से भी समय-समय पर राशि प्रदाय की गई है, प्रदाय राशि में से राशि जो अव्ययीत है (UNSPENT) है उसकी संपूर्ण जानकारी संलग्न प्रारूप में संचालनालय को प्रेषित करें।

जिला पंचायत का नाम	वर्ष	योजना/मद का नाम	प्रदाय राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	शेष अव्ययीत (UNSPENT) राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

कृपया उक्त राशि की जानकारी अतिशीघ्र संचालनालय को प्रेषित करें ताकि राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

(संतोष मिश्र)
संचालक-सह आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला और जनपद पंचायतों को की गई राशि प्रदाय

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जिला और जनपद पंचायतों को आर्थिक विकास और अपने कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा राशि प्रदाय करने का उल्लेख किया गया है। इसी तारतम्य में इस बार राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक जिला पंचायत को 2 करोड़ रुपये एवं प्रत्येक जनपद पंचायत को एक करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax - 0755-2552899)
(E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./रा.वि.आ-1/2016/9551 **भोपाल, दिनांक 10.08.2016**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत- समस्त म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत - समस्त म.प्र.।

विषय :- राज्य वित्त आयोग मद से जिला/जनपद पंचायतों को प्रदाय राशि के संबंध में।

संदर्भ :- 1. अवर सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. एफ-2-2/2015/22/पं.-1 दिनांक 11.03.2016
2. संचालनालय का पत्र क्र. 8348 दिनांक 19.07.2016

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो जिसमें संदर्भ 01 अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत प्राप्त राशि का प्रत्येक जिला पंचायत को रु. 2.00 करोड़ एवं प्रत्येक जनपद पंचायत को रु. 1.00 करोड़ का वितरण किया गया है एवं संदर्भ 02 अनुसार मार्गदर्शिका जारी होने के पश्चात प्रदाय राशि के विरुद्ध कार्य स्वीकृति की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के संबंध में राज्य वित्त आयोग की मार्गदर्शिका तैयार कर प्रेषित है। प्रदाय राशि के विरुद्ध कार्यों की स्वीकृति मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशानुसार करें एवं कार्यों की स्वीकृति की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी जिला पंचायत को प्रदाय राशि रु. 2.00 करोड़ हेतु प्रपत्र "अ एवं ब" तथा जनपद पंचायत को प्रदाय राशि रु. 1.00 करोड़ हेतु प्रपत्र "स एवं द" में पृथक-पृथक प्रतिमाह की 05 संलग्न-राज्य वित्त आयोग की मार्गदर्शिका एवं जानकारी का प्रपत्र- "अ से द तक"

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(भीमभाई पटेल)
संयुक्त संचालक (निर्माण)
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

प्रस्तावना :-

संविधान के अनुच्छेद 243-छ (अनुसूची ग्यारहवीं) के अनुरूप मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 50, 51 तथा 53 (1) के तहत, जिला एवं जनपद पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कृत्यों का क्रियान्वयन करना है।

1. उद्देश्य :- राज्य वित्त आयोग की राशि का जिला एवं जनपद पंचायतों के मध्य वितरण किया जावेगा।

1.1 मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 50, 51 एवं 52 में जनपद/जिला पंचायतों के अनिवार्य कृत्यों का व्यापक विश्लेषण किया गया है :-

1.2 शासन ने जिला/जनपद पंचायतों के कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताएं तय की हैं :-

1. समग्र स्वच्छता एवं स्वास्थ्य :- सार्वजनिक सड़कों, नालियों तथा स्वच्छता के अन्य स्थानों का निर्माण।
2. आवागमन के संसाधनों का विकास :- ग्रामीण सड़कों (जहाँ PMGSY एवं CMGSY से मार्ग स्वीकृत करना संभव नहीं है) तथा पुल/पुलियों का निर्माण आवश्यकतानुसार आंतरिक सी.सी. रोड का निर्माण।
3. सार्वजनिक स्थलों एवं भवनों का निर्माण :- आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक शाला भवन तथा इस प्रकार के सार्वजनिक उपयोग के भवनों को निर्माण जिसमें खेल मैदान का निर्माण भी सम्मिलित है।
4. ग्राम चौपाल, यात्री प्रतिक्षालय, नदी-तालाब के घाट, स्कूल की बाउण्ड्रीवॉल तथा श्मशान घाट निर्माण।

1.3 यदि ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य किया जाना है तो वह GPDP की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। एक से अधिक पंचायतों के मध्य के कार्यों हेतु GPDP का बंधन नहीं होगा।

2.0 योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया :-

2.1 उदाहरण स्वरूप यदि किसी निकाय में 20 वार्ड हैं तथा निकाय को राशि एक करोड़ आवंटित है तो प्रत्येक वार्ड को राशि रु. 5.00 लाख प्रति वार्ड के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

2.2 कार्य की अनुशंसा कंडिका 1.2 में दिए गए कार्यों हेतु संबंधी जिला/जनपद पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा टी.एस. उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जनपद/जिला पंचायत की सामान्य सभा के अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

2.3 जनपद पंचायत/जिला पंचायत प्रदाय राशि निकाय की वार्ड में समानुपातिक रूप से व्यय हेतु निर्धारित करेगी। उदाहरण हेतु (2.1 अनुसार)।

2.4 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर की जावेगी।

2.5 इन कार्यों में अन्य योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना आदि मूलभूत, एफ.एफ.सी. (14वाँ वित्त) के अंतर्गत जनभागीदारी, स्वच्छ भारत मिशन आदि से अभिसरण (Convergence) किया जा सकता है।

2.6 अर्थवर्क (मिट्टी के कार्य) के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा।

3.0 कार्य का प्राक्कलन :-

पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य का प्राक्कलन जिला/जनपद पंचायतों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाकर उन्हें प्राप्त वित्तीय अधिकार की सीमा में ही तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जारी की जावेगी।

3.1 लेखांकन :-

राज्य वित्त आयोग की राशि का लेखांकन सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर किया जायेगा जिसका प्रतिवेदन राज्य में लागू की गई ई-गवर्नेंस योजना के अधीन होगा।

3.2 अंकेक्षण :-

1. संचालक, स्थानीय निधि संपरिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा किया जाने वाला अंकेक्षण इस योजना का वैधानिक अंकेक्षण होगा।
2. महालेखाकार, ग्वालियर का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए रिकार्ड उपलब्ध कराना पंचायतों को अनिवार्य होगा।
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 18069/22/जे.आर.वाय./दि. 7/97 दिनांक 30.10.1996 में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था विस्तार से बतायी गई है। इस मद में किये जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन/अंकेक्षण इसी प्रकार (अर्थात सामाजिक अंकेक्षण) होगा।
4. इसके अतिरिक्त C.A. Firms द्वारा वार्षिक अंकेक्षण करवाया जाना आवश्यक होगा।

3.3 प्रगति प्रतिवेदन :-

1. जिला एवं जनपद पंचायतों को प्रदत्त राशि से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की प्रविष्टि तथा व्यय, मूल्यांकन आदि की समस्त प्रविष्टियां पंचायत दर्पण पोर्टल पर निहित प्रावधान अनुसार की जावेंगी। राशि की उपयोगिता पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज व्यय तथा मूल्यांकन के आधार पर आंकलित की जावेगी।
2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किये गये ई-गवर्नेंस के सॉफ्टवेयर का उपयोग उपरोक्तानुसार किया जाना आवश्यक होगा।

3.4 राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षर कर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित किया जायेगा।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उन्हें उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षर कर जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी को प्रेषित करेगा/जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी जिले की समस्त जनपद पंचायतों के उपयोगिता

प्रमाण-पत्र संकलित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के प्रति हस्ताक्षर से आयुक्त पंचायत राज को प्रेषित करेगा।

3.5 जिला/जनपद पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिये अनुदान :-

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा राज्य शासन द्वारा पंचायत विभाग से जिले को आवंटित अनुदान राशि का वितरण म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्र.एफ-2-2/2015/पं.-1 दिनांक 11.03.2016 के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है :-

1. प्रत्येक वर्ष प्रदेश समस्त जिला पंचायतों को राशि रु. 2.00 करोड़ प्रदाय की जावेगी। यह राशि जिला पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को समानुपातिक रूप से वितरित की जावेगी।
2. प्रत्येक वर्ष प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों को राशि रु. 1.00 करोड़ प्रदाय की जावेगी। यह राशि जनपद पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को समानुपातिक रूप से व्यय हेतु वितरित की जावेगी।
3. कार्यों का अनुमोदन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात् नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

राज्य वित्त आयोग मद से स्वीकृत राशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी का प्रपत्र

प्रपत्र-अ (गोशवारा जिला हेतु)

जिले का नाम.....

क्र.	जिला पंचायत का नाम	वर्षवार प्रदाय राशि	वर्षवार स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य की संख्या	अपूर्ण कार्य की संख्या	अप्रारंभ कार्य की संख्या	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-ब (जिला पंचायत हेतु)

जिला पंचायत का नाम.....

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	तक. स्वीकृति क्र. एवं दिनांक	प्रशा. स्वीकृति क्र. एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र-स (गोशवारा जनपद पंचायत हेतु)

जनपद पंचायत का नाम.....

क्र	जनपद पंचायत का नाम	वर्षवार प्रदाय राशि	वर्षवार स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य की संख्या	अपूर्ण कार्य की संख्या	अप्रारंभ कार्य की संख्या	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-द (जनपद पंचायत हेतु)

जनपद पंचायत का नाम.....

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	तक. स्वीकृति क्र. एवं दिनांक	प्रशा. स्वीकृति क्र. एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	प्रदाय राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संपादक जी,

उद्यानिकी अंक को पढ़ा, सफल किसानों की गाथा पढ़कर उत्साह का संचार हुआ। विशेषकर अदरक की खेती और फूलों की खेती के सफल प्रयासों ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं शीघ्र ही संरक्षित खेती की ओर कदम बढ़ाऊँगा यदि मुझे इस कार्य में सफलता मिलती है तो इसका श्रेय मध्यप्रदेश पंचायिका के संपादकीय मण्डल को जाता है जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से विषय को प्रस्तुत किया कि इससे प्रेरित होकर हम इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

- भूपेन्द्र सिंह

ग्राम, बेल्दह, पोस्ट हनुमानगढ़, जिला सीधी (म.प्र.)

संपादक महोदय,

मध्यप्रदेश पंचायिका के अगस्त अंक में उद्यानिकी विषय की बहुत अच्छी जानकारी दी है। उद्यानिकी से जुड़कर कैसे किसान भाई अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। इसे आपने कम शब्दों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक न केवल पठनीय है अपितु संग्रहणीय भी है। पत्रिका में प्रकाशित की गयी उद्यानिकी विभाग की विकासात्मक गतिविधियों की जानकारियों का लाभ उठाकर किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं।

बधाई और शुभकामनाएं।

- मोहर सिंह बघेल

ग्राम एवं पोस्ट उदयपुर, जिला- ग्वालियर (म.प्र.)

महोदय,

मध्यप्रदेश पंचायिका का उद्यानिकी विशेषांक बेहद रोचक और जानकारी से भरपूर है। इस अंक में उद्यानिकी की जानकारी के साथ ही संरक्षित खेती का विवरण भी है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल चक्र काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में संरक्षित खेती और पॉली हाउस की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। आपकी पत्रिका के माध्यम से हमने जाना कि संरक्षित खेती के द्वारा न सिर्फ फसलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं बल्कि लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

- प्रशांत राठौर

चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रिय संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त 2016 अंक प्राप्त हुआ। उद्यानिकी पर केन्द्रित इस अंक में विषय से संबंधित रोचक जानकारी का बढ़िया समावेश किया गया है। खासतौर पर नंदन फलोद्यान, पॉली हाउस तकनीक और प्रगतिशील कृषक से संवाद आदि ने पत्रिका के कलेवर को जीवंतता प्रदान की है। यहाँ एक विनम्र सुझाव देना चाहूँगा। पत्रिका में पंचायतों की उपलब्धियों, पंच-सरपंचों की सकारात्मक पहल, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शासकीय एजेंसियों के ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ शासकीय सेवकों के प्रेरक प्रसंग प्रकाशित किए जाएं।

- विनोद नागर

पूर्व संयुक्त निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र भोपाल (म.प्र.)